BCCI BULLETIN

Vol. XXXXVIII | 31st December 2017 | No. 12

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व वाणिज्य कर विभाग ने व्यवसायियों को किया प्रशिक्षित

एक फरवरी से लागू होगी ई-वे बिल प्रणाली

50,000 से अधिक का माल मंगाने या भेजने पर पूरी करनी होगी ऑन लाइन प्रक्रिया

प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंचासीन (बाँयें से दाँयें) चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) श्री शंकर कुमार मिश्रा एवं संयुक्त आयुक्त श्री सुनील कुमार सिंह।

जीएसटी के अंतर्गत 1 फरवरी 2018 से ई-वे बिल प्रणाली लागू होगी जिसके दायरे में 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल भेजने और मंगाने वाले व्यवसायी आएंगे। यह व्यवस्था पूरे देश में एक समान होगी। ये बातें 21 दिसम्बर 2017 को वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार ने कही। वह बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज में व्यवसायियों के लिए आयोजित नेशनल ई-वे बिल से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से लागू होने वाली ई-वे बिल प्रणाली की व्यवस्था ऑन लाइन होगी। यह व्यवस्था काफी सरल और सुविधाजनक है। इस ऑन लाइन व्यवस्था में कई तरह के ऑप्शन्स हैं। पहले का जेनरेट बिल भी दिखेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली में अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो वह अंटाघाट कार्यालय में आकर समझ सकता है। इस व्यवस्था में व्यावसायिक गतिविधियां भी रिकार्ड रहेंगी।

वाणिज्यकर विभाग के सीटीओ अभिनव कुमार झा ने कहा कि इस व्यवस्था के तहत चेकपोस्ट के झंझट से छुटकारा है। 50 हजार रुपये से अधिक का माल मंगाने और भेजने पर ई-वे बिल ऑनलाइन भरना होगा। अगर 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर माल आता-जाता है तो इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वाहन का नम्बर भी भरना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कुछ खामियां रह गई हो तो उसमें 24 घंटे में सुधार का ऑप्शन भी ई-वे बिल में है बशर्ते 24 घंटे के भीतर अधिकारिक तौर पर जाँच की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई हो। उन्होंने कहा कि जहाँ माल भेजा गया है अगर वह समझता है कि यह माल मेरा नहीं है तो वह 72 घंटे के भीतर इसी प्रक्रिया से रिजेक्ट भी कर सकता है। इस प्रणाली में स्थान, मोबाइल नम्बर, जीएसटीएन नम्बर, दिनांक, वाहन संख्या, ट्रांसपोर्टर का आईडी अंकित करना अनिवार्य है। एन्ड्रायड फोन या एसएमएस के जरिये ई-वे बिल जेनरेट किया जा सकता है। रजिस्टर्ड होने के लिए पिन नम्बर के साथ आधार से जुड़ा मोबाइल नम्बर अंकित करना होता है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता हुए चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने ई-वे बिल प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों और और सीए एवं अधिवक्ताओं को ई-वे बिल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वाणिज्यकर विभाग के शंकर कुमार मिश्रा, सुनील कुमार सिंह, चैम्बर के उपाध्यक्ष मुकेश जैन, महामंत्री अमित मुखर्जी समेत बड़ी संख्या में व्यवसायी मौजूद थे। उपस्थित व्यवसायियों ने प्रणाली से संबंधित सवाल किया जिसका जवाब अधिकारियों ने दिया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.12.2017)

चैम्बर की ओर से ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को ई-वे बिल बनाने का दिया गया प्रशिक्षण

1 फरवरी 2018 से हो जायेगा मैंडेटरी : बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा वाणिज्य-कर विभाग के सहयोग से जीएसटी के तहत ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायियों के लिए अलग से ई-वे बिल बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 22.12.2017 को चैम्बर प्रांगण में किया

नववर्ष 2018 की हार्दिक शुभकामनाएँ....

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

यह बुलेटीन जब तक आपके हाथों में होगी, नव वर्ष, 2018 में आप प्रवेश कर चुके होंगे। मेरी शुभकामना है कि नव वर्ष में आप खुशहाल हों, आपका व्यापार एवं उद्योग समृद्ध हो, अमन चैन के साथ आप अपना व्यवसाय करें।

इस वर्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान हेतु सदैव सचेष्ट एवं प्रयत्नशील रहा है। चाहे जी.एस.टी. की समस्या हो, आपराधिक मामले हों या कोई अन्य समस्या। चैम्बर ने व्यावसायिक समस्याओं के निराकरण हेतु हर सम्भव प्रयत्न किया है।

राज्य सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी व्यावसायिक हितों के लिए सदैव प्रयत्नशील है। इसके लिए हम आप सबों की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार ज्ञापित करते हैं।

बाल विवाह एव दहेज जैसी सामाजिक कुप्रथा के विरूद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प एवं आह्वान पर दिनांक 21 जनवरी, 2018 को राज्यव्यापी मानव श्रृंखला के आयोजन में चैम्बर का पूर्ण सहयोग होगा। बिहार के समस्त व्यावसायिक संगठनों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में मानव श्रृंखला में हर सम्भव योगदान दें।

आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि चैम्बर का एक प्रनिनिधमंडल दिनांक 17 जनवरी, 2018 से 24 जनवरी, 2018 तक श्रीलंका के भ्रमण पर जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल का श्री लंका भ्रमण का मुख्य उद्देश्य वहाँ के उद्यमियों, व्यापारियों एवं व्यावसायिक संगठनों सहित सरकारी अधिकारियों के साथ दोनों देशों के आपसी पर्यटन, व्यापार एवं उद्योग के संवर्धन हेतु विचार-विमर्श करना है।

चैम्बर के कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग हेतु आपका आभारी हूँ। नव वर्ष में भी आपसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है। आप अपनी समस्याएं एवं सुझाव सदैव भेजते रहें ताकि उन पर हम अपनी तरफ से समुचित कार्यवाही कर सकें।

नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं और क्रमशः वाणिज्यकर विभाग के संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) श्री शंकर कुमार मिश्रा। दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल एवं जीएसटी उप समिति के सह संयोजक श्री आलोक कुमार पोद्दार।

गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाणिज्य-कर विभाग के ई-वे बिल के एक्सपर्ट द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से व्यवसायियों को ई-वे बिल निकालने के लिए विस्तार पूर्वक बताया गया। वाणिज्य कर विभाग के अपर आयुक्त संतोष कुमार ने बताया कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के लिए कंसोलिडेट ई-वे बिल बना सकते हैं। इससे उनके कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने आगे बताया कि वैसे व्यवसायी जिनका एक दिन में दो सौ से तीन सौ बिल एक दिन में बनता है वह एपीआई के माध्यम से वेव टू वेव बना सकते हैं। यदि वाहन चेंज करते हैं तो उन्हें व्हेकिल अपडेट का भी ऑप्शन होगा।

इसके पूर्व चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने सभी का स्वागत करते हुए बताया कि 1 फरवरी 2018 से जीएसटी के तहत अगर कोई व्यवसायी 50 हजार से ऊपर का माल दूसरे स्थानों से मंगाता है या अपना माल दूसरे स्थानों पर भेजता है, तो उसके लिए उन्हें ई-वे बिल की जरूरत होगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 16 जनवरी 2018 से ट्रायल के रूप में ई-वेल बिल का नया वेबसाइट शुरू हो जायेगा और उस पर 31 जनवरी 2018 तक व्यवसायी ई-वेल बिल बना सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। लेकिन 1 फरवरी 2018 से यह मैंडेटरी हो जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वाणिज्य-कर विभाग के अपर आयुक्त शंकर मिश्रा, देव आनंद एवं विवेक कुमार, चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष एन के ठाकुर एवं मुकेश जैन, कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, महामंत्री अमित मुखर्जी आदि मौजूद थे। जीएसटी के सह-संयोजक आलोक पोद्दार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

(साभार : प्रभात खबर, 23.12.2017)

महज 30 सेकेंड में निकाल सकते हैं ई-वे बिल

विशेषज्ञ बोले – व्यवसायी ही इस प्रक्रिया में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, पासवर्ड बदलने की भी सुविधा

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज व वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से माल एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल के संबंध में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आखिरी दिन दिनांक 23.12.2017 को एडवोकेट, टैक्स कंसल्टेंट व अकाउंटेंट को प्रशिक्षण दिया गया। सहायक वाणिज्य कर आयुक्त वीरेन्द्र कुमार सिंह और वाणिज्य कर अधिकारी प्रशांत कुमार झा ने ई-वे बिल के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला।

कार्यक्रम को संबोधित करते संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर श्री संतोष कुमार। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) श्री शंकर कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त श्री सुनील कुमार सिंह तथा दाँयीं ओर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री डी. बी. गुप्ता, एडवोकेट, सी.ए. राजीव झा एवं जीएसटी उप समिति के संयोजक श्री नवीन कुमार मोटानी

पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के जरिए दोनों विशेषज्ञों ने एक ई-वे बिल निकालकर और उसे रद्द करके बताया।

उन्होंने बताया कि महज 30 सेकेंड में एक ई-वे बिल निकाल सकते है, लेकिन इसके लिए विभिन्न तरह के वस्तुओं का व्यापार करने वालों को पहले से एक फॉर्मेट बनाकर रखाना होगा। व्यवसायी ही इस प्रक्रिया में एडमिनिस्ट्रेटर होगा, यदि कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है तो पहले के पासवर्ड को बदलने की सुविधा भी है। इस प्रक्रिया की खासियत यह है कि रोजाना बनाए गए, रद्द किए गए व भेजे गए सामान की जानकारी एसएमएस के जरिए व्यवसायी को मिल सकेगी।

विशेषज्ञों ने बताया कि यदि कोई आम नागरिक ई-वे बिल बनाना चाहें तो वे आधार नंबर के साथ बना सकते हैं। मौके पर संयुक्त आयुक्त संतोष कुमार व शंकर मिश्रा, चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल, अमित मुखर्जी, डी. पी. गुप्ता, नवीन कुमार मोटानी आदि थे।

10 किमी तक ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं : वाणिज्य कर विभाग के पटना उत्तरी अंचल के उपायुक्त प्रशांत कुमार झा ने बताया कि 10 किमी की दूरी तक ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं है। 10 किसी से अधिक की दूरी तक और 50 हजार से अधिक का सामान ले जाने की स्थिति में ई वे बिल जरूरी होगा। पटना से कोई व्यक्ति 50 हजार से अधिक मूल्य का वैसा सामान खरीदता है जिसपर टैक्स है और वह खरीदी गई सामग्री को अपनी गाड़ी से ले जाता है तो विक्रेता द्वारा ई वे बिल दिया जाएगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.12.2017)**

ईपीएफओ अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़ने का करे प्रयास

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय समिति की 102वीं बैठक दिनांक 26.12.2017 को ईपीएफओ कार्यालय में हुई।

श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अंशदाताओं की सुविधाओं आदि पर चर्चा हुई। प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि ईपीएफओ अधिक से अधिक मजदूरों को जोड़ने का प्रयास करें।

दीप प्रज्जवलित कर बैठक का शुभारंभ करते श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सिंह, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

बैठक में क्षेत्रीय आयुक्त-1 एसके झा ने ईपीएफओ के हालिया त्वरित सेवाओं की जानकारी दी। श्रमायुक्त गोपाल मीणा एवं संयुक्त श्रमायुक्त सुजीत कुमार ने भी बैठक में अपने विचार प्रकट किए। बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल तथा कर्मचारी प्रतिनिधि चन्द्रप्रकाश सिंह भी उपस्थित थे। सहायक भविष्य निधि आयुक्त मनीष मणि ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 27.12.2017)**

कार्यक्रम में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पौधा भेंट कर स्वागत करते ईपीएफ के अधिकारी।

कर्ज प्राप्ति को ठोस योजना बने

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने उम्मीद जतायी है कि राज्य सरकार नए वर्ष में व्यवसायियों एवं उद्यमियों को आसानी से बैंकों से कर्ज प्राप्ति को ठोस कार्ययोजना बनाएगी।

श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण, सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने एवं सुशासन के माध्यम से विकास के साथ न्याय प्रदान कराने की दिशा में प्रयत्नशील है। यदि यही प्रक्रिया जारी रहे तो, हमें विश्वास है कि आगामी वर्ष में बिहार अव्वल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए जमीन की उपलब्धता एक प्रमुख समस्या है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 29.12.2017)**

रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, बिहार एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित ''स्वच्छता पखवारा'' में चैम्बर अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए

कार्यशाला में श्री पी. के. अग्रवाल, चैम्बर अध्यक्ष को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते श्री हिमांशु शेखर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बिहार-सह ऑफिशियल लिक्विडेटर हाईकोर्ट, पटना

कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 से 31 दिसम्बर 2017 तक ''स्वच्छता पखवारा'' का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को पटना में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बिहार-सह-ऑफिसियल लिक्विडेटर हाई कोर्ट, पटना एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में "Sanitation and Hygiene" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन ICSI के प्रांगण में किया गया। इस कार्यशाला में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल विशेष आमंत्रण पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं उन्होंने कार्यशाला को संबोधित किया।

जीएसटी कलेक्शन में पिछड़ रहा बिहार, ई-वे बिल से बढ़ेगा राजस्व

जीएसटी लागू होने के बाद बिहार का रेवेन्यू कलेक्शन घटा है। बिहार से सेंट्रल टैक्स के मद में सिर्फ 594 करोड़ रुपए की राशि आई है जबकि आईजीएसटी के मद में 307 करोड़ रुपए आए हैं। बिहार राज्य के हिस्से में 1233 करोड़ का रेवेन्यू आया है जबकि सेस के रूप में 565 करोड़ की राशि आई है। जीएसटी 1 जुलाई की लागू किया गया था। इसमें टैक्स फ्री के अलावा 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर स्लैब हैं। इसके अलावा 1 से 290 फीसदी तक के अतिरिक्त उपकर भी टैबू और विलासिता के सामान जैसे 28% की उच्चतम टैक्स दर से ऊपर लगाया जाता है जैसे तंबाकू, सिगरेट और लक्जरी कार। इसी से राशि का उपयोग जीएसटी से उपजे राजस्व नुकसान के लिए राज्यों की भरपाई के लिए किया जाता है। पहली जुलाई को जीएसटी लागू होने के बाद से 30 नवम्बर तक यह रेवेन्यू जेनरेट किया गया है।

यूपी ने की सबसे ज्यादा 36.32 करोड़ की उगाही

राज्य	सीजीएसटी	आईजीएसटी	एसजीएसटी	सेस
यूपी	3632	5389	5845	3549
झारखंड	849	2929	311	1689
उड़ीसा	1280	2029	1896	2007
उत्तराखंड	588	4245	1179	77
बिहार	594	307	1233	565

राशि करोड़ रुपए में

1 फरवरी से बदल जाएगा सिस्टम, टैक्स की चोरी पर लगेगी रोक : इस स्थिति ने टैक्स अधिकारियों को भी चिंतित कर दिया है और इसी कारण जीएसटी व्यवस्था में ई-वे बिल की शुरुआत कर चोरी रोकने के लिए की गई है। अब जब 1 फरवरी से ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था बदलने वाली है। ऐसे में टैक्स चोरी का बड़ा मामला निश्चित तौर से रुकेगा। 1 फरवरी से 50, 000 रुपए से अधिक मूल्य का सामान लाने, ले जाने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होगी। छूट के तौर पर बस इतना मिलेगा कि एक राज्य के भीतर दस किमी के दायरे में माल भेजने पर आपूर्तिकर्ता को जीएसटी पोर्टल पर उसका ब्यौरा डालने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा हर आवागमन पर विभाग की नजर रहेगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.12.2017)

अंतिम जीएसटी रिटर्न की समय सीमा बढ़ी

सरकार ने अंतिम बिक्री रिटर्न के लिए जीएसटीआर-1 दाखिल करने की समय सीमा 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। अब 1.5 करोड़ रुपये कारोबार करने वाली इकाइयों को जुलाई-सितंबर के लिए जीएसटीआर-1 10 जनवरी 2018 तक दाखिल करना है, जबकि पहले यह समय सीमा 31 दिसम्बर 2018 थी। 1.5 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार करने वाली इकाइयों को जुलाई-नवम्बर अवधि के लिए जीएसटीआर-1 10 जनवरी तक देना है। पहले इन इकाइयों को जुलाई-अक्टूबर के लिए जीएसटीआर-1 31 दिसम्बर और नवम्बर के लिए 10 जनवरी तक दाखिल करना था। दिसम्बर के लिए जीएसटीआर -1 10 फरवरी तक और इसके बाद के महीनों के लिए हरेक महीने की 10 तारीख तक दाखिल करने होंगे। **(सा : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.12.2017)**

माल और सेवा कर
ध्यान दें : व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर

माल के अंतरराज्यिक परिवहन हेतु 1 फरवरी, 2018 से ई-वे बिल अनिवार्य हो जायेगा।

16 जनवरी, 2018 तक संबंधित प्रणाली तैयार हो जाएगी।

राष्ट्रव्यापी ई-वे बिल प्रणाली ट्रायल के लिए 16 जनवरी, 2018 तक तैयार हो जाएगी। इस प्रणाली के अनिवार्य होने से पूर्व भी व्यापारी एवं ट्रांसपोर्टर स्वेच्छा से इसका प्रयोग कर सकते हैं।

अंतरराज्यिक माल परिवहन हेतु राष्ट्रव्यापी ई- वे बिल प्रणाली के अनिवार्य क्रियान्वयन हेतु नियम अधिसूचित किए जाएंगे, जो 1 फरवरी, 2018 से प्रभावी होंगे। इससे सभी राज्यों की प्रणाली में एकरूपता आएगी और माल का अबाध अंतरराज्यिक परिवहन होगा।

जब अंतरराज्यिक एवं राज्यांतर्गत दोनों ई-वे बिल जेनरेशन प्रणाली 16 जनवरी, 2018 तक तैयार हो जाएगी, तब राज्य राज्यांतर्गत माल परिवहन हेतु ई-वे बिल के क्रियान्वयन हेतु 1 जून, 2018 से पूर्व की कोई भी तिथि चुन सकते हैं।

कुछ ऐसे राज्य हैं, जिनके पास अंतरराज्यिक तथा राज्यांतर्गत परिवहन हेतु पहले से ही ई-वे बिल प्रणाली है, ऐसे राज्य राज्यांतर्गत परिवहन हेतु पहले भी राष्ट्रीय ई-वे बिल प्रणाली लागू कर सकते हैं।

अंतरराज्यिक एवं राज्यांतर्गत ई-वे बिल की एकरूप प्रणाली को 1 जून, 2018 तक पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

माल और सेवा कर - अच्छा है सरल है

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभाग
www.cbec.govi.in, www.cbec-gst.gov.in

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.12.2017)

जीएसटी संग्रह नवम्बर में 80,808 करोड़ रुपये

जीएसटी संग्रह में लगातार दूसरे महीने गिरावट आयी। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार कुछ जीएसटी संग्रह 25 दिसम्बर तक 80,808 करोड़ रुपये रहा। इससे पूर्व महीने में यह 83,000 करोड़ रुपये था।

जीएसटी संग्रह में कमी : जुलाई 95,000 • अगस्त 91,00 • सितम्बर 92,150 • अक्टूबर 83,000 (आकड़े करोड़ रुपये में)

नवम्बर में कुल 53.06 लाख रिटर्न भरे गये : 7,798 करोड़ रुपये मुआवजा उपकर के रूप में आया • 13,089 करोड़ रुपये केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) • 18,650 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी • 41,270 करोड़ रुपये

एकीकृत माल एवं सेवा कर (आइजीएसटी)

जीएसटी का समायोजन : 10,348 करोड़ रुपये आइजीएसटी से सीजीएसटी खाते में • 14,488 करोड़ रु० आइजीएसटी से एसजीएसटी खाते में।

मोबाइल कंपनियों ने जीएसटी से पूर्व के माल बेचने का समय माँगा : नयी दिल्ली, मोबाइल हैंडसेट कंपनियों ने जीएसटी से पहले की अवधि में फोन बेचने के लिए छह महीने का और समय मांगा है। ताकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें। **(साभार : प्रभात खबर, 27.12.2017)**

120 करोड़ की आबादी में मात्र दो करोड़ लोगों ने दिया टैक्स

केवल दो करोड़ भारतीयों ने निर्धारण वर्ष 2015-16 में आयकर का भुगतान किया। यह संख्या कुल आबादी का महज 1.7 प्रतिशत है। आयकर विभाग के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। निर्धारण वर्ष 2015-16 (वित्त वर्ष 2014-15 की आय पर) में आयकर रिटर्न दाखिल करनेवालों की संख्या बढ़ कर 4.07 करोड़ हो गयी, जो इससे पूर्व वर्ष में 3.65 करोड़ थी। लेकिन वास्तव में टैक्स का भुगतान केवल 2.06 करोड़ लोगों ने ही किया। बाकी के अन्य लोगों ने अपनी आयकर निर्धारण सीमा से कम होने का हवाला दिया।

4.35 करोड़ आईटीआर से 33.62 लाख करोड़ आमदनी : व्यक्तिगत आयकर रिटर्न सहित निर्धारण वर्ष 2015-16 में 4.35 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल की गयी। इनमें कुल 33.62 लाख करोड़ रुपये आय की घोषणा की गयी। इससे पिछले वर्ष 3.91 करोड़ रिटर्न दाखिल की गयी और 26.93 लाख करोड़ की आय घोषित की गयी। कंपनियों ने इस दौरान 7.19 लाख रिटर्न दाखिल की, जिनमें कुल 10.71 लाख करोड़ रुपये की आय घोषित की गयी।

• **1.33** करोड़ आयकर रिटर्न 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपये सालाना आय वर्ग में भी, सबसे ज्यादा • **1.84** करोड़ रिटर्न के तहत 1.5 लाख रुपये या औसतन 24,000 रुपये का टैक्स दिया • **21.27** लाख करोड़ रुपये आंकी गयी है व्यक्तिगत आइटीआर • **18.41** लाख करोड़ रुपये रही कुल आय वर्ष 2014-15 में • **4.07** करोड़ लोगों में से 82 लाख ने जीरो टैक्स व 2.5 लाख से कम आय दिखायी है। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 26.12.2017)**

स्टैंड-अप इंडिया के तहत कर्ज देने में बैंक सुस्त

स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण देने में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बेहद सुस्त हैं। राज्य के बैकों को अप्रैल 2016 से शुरू स्टैंड-अप इंडिया के तहत कम से कम प्रति बैंक शाखा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला को ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए 10 लाख से एक करोड़ के बीच ऋण देना है। किंतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही में मात्र 418 (प्रति बैंक शाखा 6.09 प्रतिशत) एवं द्वितीय तिमाही तक 497 लोगों (प्रति बैंक शाखा 7.20 प्रतिशत) को ही ऋण उपलब्ध कराए गए, जबकि राज्य में 6897 बैंक शाखाएँ हैं। वहीं, 2016-17 में कुल 1308 व्यक्तियों को इस योजना के तहत ऋण दिया गया, जो 19.11% था। राज्य सरकार ने स्टैंड-अप इंडिया के तहत बैंकों की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है।

नए उद्यम के लिए मिलता है योजना के तहत ऋण : स्टैंड-अप इंडिया के तहत ऋण की सुविधा नए उद्यमों के लिए ही मिलता है। इसके लिए अनुसूचित जाति/जनजाति का होना या महिला होना मुख्य शर्त है। आवेदनकर्ता को सिर्फ अपना पहचान पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र देना होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संपत्ति बंधक नहीं रखनी होती। इस योजना के तहत दस हजार करोड़ की प्रारंभिक धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से पुन: वित्त की सुविधा है। इस योजना के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से ऋण गारंटी के लिए पाँच हजार करोड़ के कोष का निर्माण किया गया है। किराए के मकान में भी कोई उद्यमी अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इसके लिए खुद की जमीन अनिवार्य नहीं है।

> "स्टैंड-अप इंडिया के तहत नए उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने को लेकर बैंकों में आने वाले सभी आवेदनों का निबटारा किया जा रहा है। आवेदक बैंकों में आएँ तो ऋण सुविधा अवश्य दी जाएगी।"
>
> – **ए. दास,** एजीएम सह संयोजक, बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.12.2017)

योजना **पटना, दरभंगा, भुजफ्फरपुर व भागलपुर में है जमीन, बढ़ सकती है आवेदन की तिथि**

बियाडा के पास 137.52 एकड़ औद्योगिक जमीन खाली

राज्य में उद्योग लगाने के इच्छक उद्यमियों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथोरिटी (बियाडा) ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 29 दिसम्बर तक रखी थी। इसे कुछ दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस समय 137.52 एकड़ बियाडा की जमीन चार औद्योगिक क्षेत्र में खाली है। इनमें पटना, दरभंगा, भुजफ्फरपुर और भागलपुर के अधीन वाले औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से पटना औद्योगिक क्षेत्र में 49.72 एकड़ दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र में 29.53 एकड़, मुजफ्फरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 26.43 एकड़ और भागलपुर औद्योगिक क्षेत्र में 31.84 एकड़ जमीन खाली है। बियाड़ा द्वारा जारी सूची में उपलब्ध जमीन में से सबसे अधिक कीमत बिहारशरीफ इंडस्ट्रियल इस्टेट एरिया की है। यहाँ 2.14 एकड़ जमीन खाली है। एक एकड़ जमीन की कीमत करीब 4,35,00,000 रुपये है। वहीं सबसे कम कीमत मुजफ्फरपुर क्षेत्र के कुमारबाग औद्योगिक क्षेत्र की है। यहाँ इस समय 0. 11 एकड़ जमीन खाली है। एक एकड़ जमीन की कीमत 19 लाख रुपये है। बियाडा से जुड़े आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि 14 दिसम्बर को इसके बारे में विज्ञापन जारी होने के बाद उसी दिन से औद्योगिक जमीन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इसके बाद बियाडा के सर्वर में 24 दिसम्बर को सुबह 7.45 पर तकनीकी गड़बड़ी आ गयी थी। इस कारण उसका मेंटेनेंस शुरू हुआ और 25 दिसम्बर को दिन के दो बजे यह ठीक हो सका। इस बीच यह आवेदन प्रक्रिया बाधित रही।

बियाडा के सर्वर में आ गयी थी तकनीकी गड़बड़ी

क्या कहते हैं अधिकारी : बियाडा के कार्यकारी निदेशक बी. लाल का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके खत्म होते ही कागजात की जाँच होगी और जमीन आवंटन के लिए तय प्राथमिकता के तहत आवेदकों का चयन किया जायेगा। चुने गये आवेदकों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए करीब एक सप्ताह का समय दिया जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया बाधित होने पर आये कई फोन : इस बीच परेशान कई आवेदकों के फोन बियाडा में आते रहे। पूछताछ करने वालों को बताया गया कि सर्वर मेंटेनेंस पूरा होते ही यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जायेगी। इस समय प्रतिदिन ऑनलाइन आवेदन आ रहे हैं। फिलहाल बियाडा के अधिकारी बाधित कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढाने पर विचार कर रहे है।

(साभार : प्रभात खबर, 28.12.2017)

आईटीआई के लिए जमीन की तलाश

अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 में खुलने वाले नये आईटीआई के लिए श्रम संसाधन विभाग जमीन की तलाश कर रहा है। विभाग का मानना है कि पहले से जमीन चिह्नित हो जाने से भवन निर्माण में सहुलियत होगी। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अगले वित्तीय वर्ष में खुलने वाले सामान्य और महिला आईटीआई को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके साथ राज्य के सभी अनुमंडल में सामान्य व सभी जिला में महिला आईटीआई हो जायेगा। आईटीआई के भवन निर्माण के लिए जमीन की तलाश संबंधित जिले के जिलाधिकारी को करना होता है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक आईटीआई के लिए जमीन मिल गयी है। अन्य के लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को श्रम संसाधन विभाग ने अनुरोध पत्र भेजा है। सभी अनुमंडल में सामान्य आईटीआई हो जायेगा। अभी राज्य में कुल 121 सरकारी आईटीआई है।

आठ जिलों में खुलेगा महिला आईटीआई : भभुआ, गोपालगंज, खगड़िया, लखीसराय, नालंदा, रोहतास, समस्तीपुर और शेखपुरा में महिला आईटीआई खुलेगा। महिला आइटीआइ में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लाइंसेज एवं मैकेनिक की पढ़ाई होगी।

इन अनुमंडलों में सामान्य आइटीआई : मंझौल, बखरी, मोहनियां, अरेराज, रक्सौल, मधुबनी सदर, गोगरी, पटना सिटी, बाढ़, मसौढ़ी, सासाराम,

दलसिंहसराय, बेलसंड, सीवान, नर्मिली व महनार में खुलेगा। यहाँ फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वेल्डर एवं मेकेनिक इंजन डीजल की पढ़ाई होगी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 30.12.2017)

गोदाम निर्माण पर पांच लाख तक अनुदान

अनाज को बर्बादी होने से बचाने के लिए राज्य सरकार भंडारण व्यवस्था पर जोर दे रही है। इसके लिए कोठिला एवं गोदाम निर्माण पर किसानों को 40 से 56 फीसद तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने बनाया कि अनाज गोदाम के विभिन्न श्रेणियों में पाँच लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की गई है। कोठिला पर 56 फीसद तक अनुदान राशि मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि खलिहान से फसलों के घर आने के बाद भी बर्बादी की आशंका बनी रहती है। इसके लिए अनाज का सुरक्षित भंडारण जरूरी है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कोठिला एवं गोदाम निर्माण पर अनुदान की व्यवस्था की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में पाँच क्विंटल की क्षमता वाले धातु कोठिला का मूल्य 2029 रुपये अनुमानित है। सामान्य जाति को 40 फीसद (812 रुपये) एवं अजा-जजा किसानों को 56 फीसद (1136 रुपये) अनुदान दिया जाता है।

कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों को दो सौ सीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम निर्माण पर अधिकतम पाँच लाख रुपये अनुदान की व्यवस्था है। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति पत्र मिलने के 30 दिनों के भीतर गोदाम का निर्माण शुरू करना होगा। अनुदान सिर्फ अन्न भंडारण के मकसद से बनाए जाने वाले गोदाम पर ही मिलेगा। यह योजना अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण के लिए लागू है। **(सा. : दैनिक जागरण, 30.12.2017)**

उद्यमियों के पेटेंट का खर्च उठाएगी सरकार

इंक्यूबेशन सेंटर का मिलेगा सपोर्ट, बनाया जाएगा इनोवेशन हब

स्टार्ट-अप उद्यमी अगर अपने आइडिया को पेटेंट कराएंगे तो इसका पूरा खर्च उद्योग विभाग वहन करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर अपने आइडिया या उत्पाद का पेटेंट कराने पर विभाग सीधे खर्च वहन करेगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराने वालों के पूरे खर्च की प्रतिपूर्ति करेगा। यह काम वित्तीय सहायता से अधिक युवा उद्यमियों को पेटेंट के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।

उद्योग विभाग का मानना है कि उद्यमियों, विशेषकर युवा उद्यमियों के लिए बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रोपर्टी) बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दौर में बौद्धिक संपदा किसी भी उद्यमी को उसके तेज विकास में बहुत मदद करती है। उद्यमियों की मदद के लिए उद्योग विभाग ने एक ट्रस्ट भी बनाने का निर्णय लिया है। इसमें उद्योग विभाग के सचिव या प्रधान सचिव सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। ट्रस्ट में वित्त, योजना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आइआइटी एवं एनआइटी के निदेशक को भी सदस्य के रूप में रखा जाएगा। यह ट्रस्ट एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा और युवाओं में उद्यमिता विकास के लिए अभियान चलाएगा। यह ट्रस्ट स्टार्ट-अप नीति की सालाना समीक्षा भी करेगा। ट्रस्ट के अलावा उद्योग विभाग 'स्टार्ट-अप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कमेटी' (एसआइएसी) का गठन भी करेगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ रहेंगे। यह विशेषज्ञ कमेटी ट्रस्ट को प्राइवेट इंक्यूबेटर्स का पैनल तैयार करने में मदद करेगी। स्टार्ट-अप को इंक्यूबेशन सेंटर का सपोर्ट उपलब्ध कराने की रणनीति पर भी अमल किया जा रहा है। पहले तीन सालों तक इंक्यूबेशन सेंटर की सुविधा उद्यमियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। विभाग पीपीपी मोड में प्रदेश में एक 'इनोवेशन हब' भी बनाएगा। इस हब में इंक्यूबेशन सेंटर की हर सुविधा उपलब्ध रहेगी। **(सा. : दैनिक जागरण, 26.12.2017)**

बिजली दर पर फरवरी में शुरू होगी आयोग की जनसुनवाई

बिजली महंगी हो या नहीं इस पर फरवरी में जनसुनवाई शुरू होगी। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बिजली दर निर्धारित करने से पहले 10 जगहों पर जनसुनवाई करेगा। इनमें शेरघाटी, सासाराम, राजगीर, बेगूसराय, कटिहार, मधुबनी, सुपौल, सीवान, मोतिहारी और पटना शमिल है। पटना को छोड़ पहली बार इन शहरों में जनसुनवाई होगी। इसमें आसपास के जिलों के बिजली उपभोक्ता भी शामिल होंगे। अबतक प्रमंडलवार जनसुनवाई होती थी। आयोग ने इस संबंध में संबंधित डीएम को पत्र लिखा है। पत्र का जवाब मिलने के बाद जनसुनवाई की तारीख, समय और स्थान की जानकारी आम बिजली उपभोक्ताओं को दी जाएगी। आम बिजली उपभोक्ता जनसुनवाई में उपस्थित होकर बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर अपनी बात रखेंगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.12.2017)

44 पावर सब स्टेशनों पर काम शुरू, सुदूर इलाकों में आसानी से पहुँचेगी बिजली

मई 2018 तक हर टोला व दिसम्बर तक हर घर को बिजली देने का है लक्ष्य, आपूर्ति सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा प्रयास

राज्य के सुदूर इलाकों में भी बिजली आपूर्ति सिस्टम टुरुस्त करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए 44 नए पावर सब स्टेशन बनाए जाएंगे। पावर होल्डिंग कंपनी ने इसके लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई है। बिजली कंपनी सभी गांवों में बिजली पहुँचाने के बाद सभी टोलों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अप्रैल तक इसे पूरा कर लेना है। इसके बाद हर घर बिजली पहुँचाने की योजना शुरू होगी इसके लिए गाँवों के अंदर भी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टुरुस्त करना है।

यहाँ बनेंगे पावर सब स्टेशन

उत्तर बिहार : (24 - पावर सब स्टेशन 215.74 करोड़) धानुकी-लौकाहा व हिसरबौरहर-हरलाखी (मधुबनी), भटाही-जंदाहा (वैशाली), उसरी बाजार, नारायणपुर-तरैया, पुचरी बाजार-बनियापुर व जगदीशपुर-गरखा (सारण), कुमैया, विशुनपुरा-बाधा(पश्चिम चंपारण), सिंघिया खुर्द (समस्तीपुर), चमथा -बछवाड़ा, सिमरिया-बरौनी, चक हमीद-बखरी (बेगूसराय), बेलाही (कोसी बांध)-ऐना महिषी(सहरसा) मैवा (खुटा बैजनाथपुर) भरगामा, बोची, बलुआ -पलासी (अररिया), सेमापुर-बरारी (कटिहार), ओलापुर-1 (खगड़िया), बेलवा काशीपुर व वसंतपुर मिलिक (किशनगंज), सोनपूर (छपरा), चनपटिया (पश्चिम चंपारण), किशनगंज, ठाकुरगंज (किशनगंज), बोखरा (सीतामढ़ी)

दक्षिण बिहार : (20 - पावर सब स्टेशन 135.95 करोड़) महाराजगंज, जमुआ-कुटुंबा व टंडवा, बेनी गंझर-नवीनगर (औरंगाबाद), वार्ने साउथ, चानन व बड़ा सुईया, चानन (बांका), सलेमपुर-धामर, आरा (भोजपुर), रामपुर डेहरी-तिवया, चौसा (बक्सर), नैयाडिह, चरका पत्थर-सोनो (जमुई), मुरौरा, मेघिनगवा-बिहारशरीफ (नालंदा), गुप्ताधाम, उगहनी चेनारी व पहलेजा, डरीहाट-डेहरी (रोहतास), राजापुर थेरा-वारिसलीगंज व मंडीला-मेसकौर (नवादा), खैरा पीपरा-बरियारपुर (मुंगेर), कोल डिपो, डेहरी-डेहरी नगर परिषद (रोहतास) खेमनीचक, अशोपुर, सेंट्रल इलेक्ट्रिक सप्लाई एरिया, आरकेनगर, बीपीपीएचसीएल कॉलोनी (पटना) और भेलवार-काको (जहानाबाद)।

(साभार : दैनिक भास्कर, 29.12.2017)

बरौनी थर्मल पावर से 4.10 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी बिजली

बरौनी थर्मल पावर की 250-250 मेगावाट की दो यूनिट के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने दर तय कर दिये हैं। 4.10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बरौनी थर्मल पावर से राज्य को बिजली मिल सकेगी। जनवरी महीने में ही बरौनी के एक यूनिट से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा, जबकि इसी वित्तीय वर्ष में दूसरे यूनिट से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। इसको लेकर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी ने 31 मार्च 2018 तक बिजली की टैरिफ दर तय करने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव दिया था।

कंपनी ने 5.92 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली का प्रस्ताव दिया था और 445 करोड़ की मांग की थी। इस पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने 4.10 रुपये प्रति यूनिट पर अपनी मंजूरी दी है। यह दर बरोनी थर्मल पावर से उत्पादित होने वाली 250-250 मेगावाट की दो नयी यूनिट के लिए 31 मार्च

2018 तक लागू रहेगा। एक अप्रैल से नयी दर विद्युत विनियामक आयोग की ओर से फरवरी-मार्च में निर्धारित होने वाली टैरिफ के बाद होगी। वर्तमान में बरौनी थर्मल पावर की 110-110 मेगावाट की दो यूनिट चल रही है।

(साभार : प्रभात खबर, 30.12.2017)

पटना के नए इलाकों में बनेंगे 19 पावर सब स्टेशन

इस वर्ष राजधानी पटना की बिजली सप्लाई में काफी बेहतरी आयी है। शहर की 20-22 लाख की आबादी को निर्बाध बिजली देने के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने बिजली की आधारभूत सरंचना पर छह सौ करोड़ की लागत से काम पूरे किए गए हैं।

नए वर्ष में शहर के लोगों को बिजली कंपनी और पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान (पेसू) से काफी उम्मीदें हैं। शहर के गली-मोहल्लों में अभी जर्जर तार लटकते दिख रहे हैं। इससे हादसे की आशंका बनी रहती है। मौजूदा पावर सबस्टेशनों पर बिजली की बढ़ी हुई मांग के कारण लोड अधिक रहता है। इससे लोड शेडिंग के साथ लाइन ट्रिपिंग की समस्या बना रहती है।

यहाँ पावर सबस्टेशन

पश्चिमी पटना : राजीवनगर, न्यू पुलिस लाइन, न्यू ब्रह्मपुर गर्दनीबाग रोड नं.40, पाटलिपुत्र स्टेशन, आशियाना रोड, भगवतीपुर, हार्डिंग पार्क, मधियापर, तेजप्रताप नगर।

पूर्वी पटना : खमनीचक, कलेक्ट्रेट, पटना कॉलेजिएट, बीएनआर ट्रेनिंग कॉलेज, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, रानीपुर जल्ला, गोपालपुर, एग्रीकल्चर कॉलेज और परसा।

नए वर्ष में यह तैयारी : • पटना पश्चिमी एरिया में 494 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, पूर्वी और मध्य पटना में दो सौ नए ट्रांसफार्मर • 315 केवीए के 293 और 200 केवीए के 12 ट्रांसफार्मर • दक्षिणी-पूर्वी पटना में 45 नए फीडर • एलटी लाइन और 11 हजार लाइन की मजबूती • हर फीडर के लिए नए सोर्स बनाए जाएंगे।

> "पटना को 24 घंटे बिजली देने की दिशा में काफी हद तक सफलता मिली है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए काफी काम किए गए हैं। नए वर्ष में 19 पावर सब स्टेशन के निर्माण के साथ बड़े पैमाने पर फीडर, ट्रांसफार्मर और केबल आदि लगाने के काम पूरे किए जाएंगे।"
>
> – दिलीप कुमार सिंह, महाप्रबंधक, पेसू, पटना

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 28.12.2017)

कचरे से बनायी जायेगी अब 10 मेगावाट बिजली

जनवरी से शुरू होकर दो वर्षों में तैयार होगा प्लांट

शहर से निकलने वाले कचरे के निस्तारण व उसके सकारात्मक उपयोग पर अब जाकर काम शुरू होने की कगार पर आ रहा है। शहर के बाहर रामाचक बैरिया के 72 एकड़ में पूरा कचरा डंप किया जाता रहा है। इस पर नगर विकास व आवास विभाग के माध्यम से बुडको ने सुनील हाइटेक कंपनी को कचरा से बिजली बनाने के लिए एग्रीमेंट किया था। पूरे प्रोजेक्ट पर पीपीपी मोड पर काम किया जाना है। वर्ष 2014 में ही कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट रुक रहा था। अब जाकर प्रोजेक्ट मुहाने पर आया है। इस पर कंपनी जनवरी से काम शुरू कर रही है। कंपनी के प्रतिनिधि अजीत ने बताया कि जनवरी के दूसरे सप्ताह से काम शुरू हो जायेगा। दो वर्ष में प्रोजेक्ट पूरा हो जायेगा। 10 मेगावाट बिजली बनाने का काम किया जायेगा।

2014 से चल रही थी योजना, अब जाकर मुहाने पर आया काम

तीन वर्षों से अधिक पुराना है प्रोजेक्ट : इस प्रोजेक्ट पर सुनील हाइटेक कंपनी पटना ग्रीन एनर्जी के नाम से काम कर रही है। बिजली बनाने के लिए प्रतिदिन कंपनी को 600 टन से अधिक कचरे की जरूरत है। वहीं, नगर निगम प्रतिदिन 650 टन की औसत दर से कचरा दे रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने अपनी प्रोजेक्ट नहीं लगाया है। इसकी लगात 230 करोड़ है। कंपनी के प्रतिनिधि अजीत ने बताया कि अब तक कंपनी को बैंक लोन नहीं मिला था, इस कारण थोड़ी समस्या आ रही थी। अब इसको पूरा किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 28.12.2017)

घाटे में चल रही शाखाएं बंद करें बैंक

वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए देश और विदेश में घाटे में चल रही शाखाओं को बंद करने को कहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक ऐसी शाखाओं को चलाने का कोई तुक नहीं है क्योंकि इससे बैंकों पर वित्तीय बोझ पड़ रहा है। बैंकों को अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए न केवल बड़ी बचत पर ध्यान देने की जरूरत है बल्कि उन्हें छोटे-छोटे उपायों से भी बचत करनी चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नैशनल बैंक सहित कई बैंकों ने पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी अपने 10 क्षेत्रीय कार्यालय बंद कर दिए हैं।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.12.2017)

नए साल में बैंकों से कर्ज लेना और आसान होगा

सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है, जिससे बैंकों से कर्ज मिलना और आसान हो जाएगा। सरकार का इरादा गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का है। इस कदम से ऋण की मांग को बढ़ाया जा सकेगा। मौजूदा ऋण वृद्धि दर काफी नीचे चली गई है। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने बताया कि सुधार एजेंडा शीर्ष प्राथमिकता है, जिसे पूंजीकरण के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। ताकि ईमानदार कर्जदाताओं को परेशानी न हो और उन्हें समय पर कर्ज मिल सके।

दो अध्यादेश लाए गए : एनपीए पर काबू के लिए सरकार ने इस साल दो अध्यादेश बैंकिंग नियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) 2017 जारी किए हैं। आरबीआई की आंतरिक सलाहकार समिति ने 12 ऐसे बड़े दबाव वाले खातों की पहचान की है, जिन्हें दिवाला एवं शोधन सहिता में लाना है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 29.12.2017)**

31 तक नहीं कराया केवाईसी तो बंद होगा ई-वैलेट

बिहार में हर दिन करीब 30 लाख डिजिटल ट्रांजेक्शन ई-वैलेट से होता है। पहली जनवरी से राज्य के करीब 40 लाख ई-वैलेट ग्राहकों की सेवा बाधित हो सकती है। कारण है कि ई-वैलेट कंपनियाँ ग्राहकों से केवाईसी भरवाने में पीछे रह गई हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार ग्राहकों के खाते 31 दिसम्बर तक केवाईसी कंप्लायंस्ड हो जाने चाहिए। परंतु कंपनियाँ लक्ष्य से पीछे हैं। कुछ वैलेट ट्रांजेक्शन का दो-तिहाई व्यापार निजी कंपनियां करती है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 30.12.2017)

बिटक्वाइन पर राज्यों से ब्योरा माँगा

आयकर विभाग ने देशभर में व्यापारियों और निवेशकों

क्रिप्टोकरेंसी यानी आभासी मुद्रा में कालेधन के निवेश के मद्देनजर आयकर विभाग हरकत में आ गया है। विभाग ने राज्य सरकारों से बिटक्वाइन का व्यापार और निवेशकों का ब्योरा मांगा है। साथ ही जोखिमों के प्रति रिजर्व बैंक के परामर्श के हवाले से आगाह भी किया है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.12.2017)**

बैंक का मेला खत्म करेगा सिक्कों का झमेला

निर्देश : आरबीआइ ने बैंकों को 'सिक्का मेला' लगाने की एडवाइजरी जारी की

दो सौ करोड़ रुपये से अधिक कानपुर, एक हजार करोड़ से अधिक उत्तर प्रदेश और 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक के सिक्कों के बोझ तले देश भर के बाजारों को राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिक्कों की समस्या सुलझाने के लिए बैंक शाखाओं पर सिक्का मेला लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिए जा चुके हैं। बैंक शाखा स्तर पर लगने वाले इस मेले में न केवल खाताधारकों के पास इकट्ठा हुए सिक्का जमा किए जाएंगे बल्कि उन्हें बाजार में सिक्कों की जरूरत और अहमियत भी बताई जाएगी। बैंक सिक्का जमा करने में परेशानी अनुभव न करें, इसके लिए करेंसी चेस्ट के मुख्य प्रबंधकों को भी निर्देशित किया गया है कि वे शाखाओं से सिक्के लें।

नोटबंदी के दौरान उत्पन्न नकदी संकट से निपटने के लिए बैंकों ने अपनी शाखाओं के जरिये खाताधारकों को सिक्कों में भी भुगतान किया था। कुछ समय

तक बाजार में सिक्कों में भुगतान होता रहा। ऐसे में कारोबारियों ने भी सिक्के लिए। दिक्कत तब शुरू हुई जब बैंकों ने इन सिक्कों को जमा करने से मना कर दिया। इसका असर यह हुआ है कि कारोबारियों ने बाजार से सिक्के लेने से मना कर दिया और छोटे दुकानदारों, एजेंसियों के पास सिक्के जमा होने लगे। इससे करोड़ों रुपये की कार्यशील पूंजी फंसी और कारोबार में नुकसान की स्थिति आने लगी। कारोबारियों ने कई बार सिक्का प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए और आरबीआइ के क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान आरबीआइ ने गाइडलाइन जारी की। जिलाधिकारी ने बैंकों के साथ बैठक कर सिक्का जमा करने के लिए भी कहा। इस पर बैंकों ने एक हजार रुपये तक के सिक्के लेने पर हामी भरी। थोड़े बहुत सिक्के जमा हुए लेकिन करेंसी चेस्टों ने बैंक शाखाओं से सिक्के लेने से मना कर दिया। कहा, सिक्के वापस लेने का कोई नियम है। इस पर बैंक भी सिक्के लेने में आनाकानी करने लगे और स्थिति बिगड़ने लगी। इन स्थितियों को देखते हुए आरबीआइ ने बैंक शाखाओं और करेंसी चेस्ट को सिक्के लेने के निर्देश के साथ सिक्का मेला लगाने के लिए एडवाइजरी जारी की है।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.12.2017)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों को 1000 तक सिक्के लेने का दिया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक व निजी बैंकों पत्र लिख कर एक हजार रुपये से अधिक के सिक्के स्वीकार करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक को लोगों से लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह देते हुए लिखा है कि लोगों की सुविधाओं को ख्याल रखते हुए एक हजार रुपये से अधिक के सिक्के भी स्वीकार करें। अगर वे एक बार में एक हजार के सिक्के नहीं लेने की स्थिति में हो, तो ग्राहक से अगले दिन या अपने अन्य शाखा में जमा करने की सलाह दें। मिली जानकारी के अनुसार जिन बैंक शाखाओं में करेंसी चेस्ट की सुविधा नहीं है। करेंसी चेस्ट की उन शाखाओं से सिक्के लेने के लिए भी कहा गया है। **(साभार : प्रभात खबर, 27.12.2017)**

शिकायत के लिए रेलवे का नया ट्विटर अकाउंट

रेलयात्रियों को रेलवे से संबंधित अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए रेल मंत्रालय की ओर अलग से ट्विटर अकाउंट खोला गया है।

कोई भी यात्री नीचे दिए गए ट्विटर अकाउंट पर यात्रा के दौरान हो रही परेशानियों, अपनी शिकायतों अथवा सहायता के लिए मदद मांग सकता है। रेल मंत्रालय द्वारा बनाई गई सेल में तत्काल आपकी शिकायतों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सेल की ओर से संबंधित मंडल को शिकायत स्थानांतरित कर दी जाएगी। संबंधित अधिकारी जब तक समस्या का समाधान निकालकर यात्री को सूचित नहीं करेंगे तब तक सेल इसकी मॉनीटरिंग करता रहेगा। इसके अलावा भी रेलमंत्री के ट्विटर खाते में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यात्रियों द्वारा की गई शिकायत पर रेलवे कार्रवाई करेगा। अकाउंट निम्न है : @railwayseva (nonverified) user id Indian Railwaysseve **(दैनिक जागरण, 29.12.2017)**

नौ माह में मिलीं लंबी दूरी की पाँच नई ट्रेनें

पूर्व मध्य रेल की ओर से यात्री सुविधाओं के क्षेत्र में कई नए कार्य किए गए हैं। पूरे साल यात्रियों की बल्ले-बल्ले रही। पिछले नौ माह के दौरान जहाँ यात्रियों के लिए पाँच नई लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई गई, वहीं चार जोड़ी सवारी गाड़ियों का भी परिचालन किया गया। जयनगर से उधना के लिए जहाँ अंत्योदय एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई, वहीं पटना से बांद्रा के लिए नई हमसफर ट्रेन चलाई गई।

पूमरे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2017-18 में नवम्बर माह तक 17 करोड़ 34 लाख 68 हजार यात्री विभिन्न ट्रेनों से विभिन्न शहरों के लिए यात्रा किए जिससे 1846.24 करोड़ रुपये की आय हुई। इसी वित्तीय वर्ष में 81.83 मिलियन टन माल का लदान किया गया जिससे 8072 करोड़ रुपये की आय हुई। अंत्योदय व हमसफर के अलावा जयनगर पटना के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस, दो नई राजधानी एक्सप्रेस के साथ इंदौर गुवाहाटी एक्सप्रेम चलाई गई। पाटलिपुत्र लखनऊ ट्रेन के परिचालन के दिनों में वृद्धि की गई है। 65 स्टेशनों पर एलइडी लाइट व पंखे लगाए गए हैं। तीन स्टेशनों पर सौर उर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। राजधानी एक्सप्रेस को नई तकनीक से चलाने से प्रति माह 21 हजार लीटर की बचत हो रही है। संरक्षा के प्रति ट्रैकों के रखरखाव को प्राथमिकता देते हुए अब तक 163 किमी ट्रैक का नवीकरण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 8 गेट को इंटरलॉक, 25 गेटों पर इलेक्ट्रिक लिफ्टिंग बैरियर और 26 गेटों पर स्लाइडिंग बूम लगाया गया है। **(साभार : दैनिक जागरण, 30.12.2017)**

रेल मंत्री के कहा

बिहार में चार रेल परियोजनाओं का प्रस्ताव, तारीख तय नहीं

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिनांक 27.12.2017 को बताया कि बिहार में पूर्ण व आंशिक रूप से आनेवाली चार नयी रेल परियोजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सरकार के अनुमोदन के अधीन है। लोकसभा में सतीश चन्द्र दूबे के एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 4302 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली चारों परियोजनाएँ सरकार के अनुमोदन के अधीन हैं। इन्हें शुरू करना संबंधित परियोजनाओं की वित्तीय अर्थ क्षमता और सरकार (नीति आयोग और आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल की समिति) की स्वीकृति पर निर्भर करता है।

कौन सी परियोजना : मुजफ्फरपुर-सगौली (101 कि.मी.) विद्युतीकरण व दोहरीकरण, सगौली-वाल्मीकिनगर (110 कि.मी.) विद्युतीकरण व दोहरी करण, विक्रमशिला-कटारिया (32 कि.मी.) नयी लाइन और वजीरगंज-जेठियां बरास्ता गहलूर (20 कि.मी.) नयी लाइन शामिल है। इन परियोजनाओं के अलावा रेलवे ने बिहार में 32 नयी लाइन, पांच आमान परिवर्तन व 11 दोहरीकरण परियोजनाएँ शुरू की है। इनकी लागत 51 हजार 412 करोड़ रुपये है। **(साभार : प्रभात खबर, 28.12.2017)**

मधेपुरा-सहरसा-मानसी डबल रेल लाइन का होगा निर्माण

समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव, यात्रियों को ट्रेनों की लेटलतीफी से मिलेगा छुटकारा

मधेपुरा-सहरसा-मानसी रेलखंड डबल लाइन बनेगी। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने दोहरीकरण का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेज दिया है। साथ ही मानसी-मधेपुरा (63.25 किमी) की दूरी में चल रहे रेल विद्युतीकरण कार्य के भविष्य में दोहरीकरण होने की संभावना को ध्यान में रखते किया जा रहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 29.12.2017)

फाइलों से नहीं निकल पाए हैं 'पासपोर्ट सेवा मित्र'

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की पासपोर्ट सेवा मित्र बहाल करने की योजना अभी फाइलों में ही है। पासपोर्ट सेवा को सर्वसामान्य बनाने और दलालों से मुक्ति दिलाने के लिए साल 2015 में ही पासपोर्ट सेवा मित्र बहाल करने की घोषणा की गई थी। ऐसे में आये दिन पासपोर्ट आवेदक दलालों के हाथों हजारों रुपये की ठगी के शिकार होते रहते हैं। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी प्रवीन मोहन सहाय ने बताया कि पासपोर्ट सेवा मित्र की बहाली क्यों नहीं हुई, इसकी फाइल की जाँच की जाएगी। बता दें कि पिछले साल पटना से 3 लाख 10 हजार 667 पासपोर्ट जारी किए गए थे। इस साल पासपोर्ट की संख्या कम हुई है।

युवाओं को जोड़ना था : समाज सेवा के प्रति जागरूक युवाओं को प्रशिक्षण देकर पासपोर्ट सेवा मित्र बनाया जाना था। इसके लिए स्नातक पास युवाओं को योग्य बताया गया था। सभी आवेदकों को चार से आठ सप्ताह तक प्रशिक्षण देने की योजना थी। इस मामले में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा कुछ युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन युवाओं को पासपोर्ट सेवामित्र नहीं बनाया गया और न ही प्रमाणप्त्र दिया गया। **(साभार : हिन्दुस्तान, 30.12.2017)**

बालू घाटों पर बहाल हुई पुरानी बंदोबस्ती

मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुनवाई की अगली तिथि 23 जनवरी निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार ने बालू संकट को खत्म करने के लिए बालू घाटों की रद बंदोबस्ती बहाल करने का फैसला किया है। राज्य में अब बालू का कारोबार पुरानी नियमावली के तहत ही किया जाएगा। बालू का मूल्य भी अब सरकार नहीं, प्रतिस्पर्द्धा के आधार पर बाजार तय करेगा। **(सा. : दैनिक जागरण, 21.12.2017)**

स्टेशनों के विकास की नई नीति

भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय 1 लाख करोड़ रुपये की लागत से स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना पेश करने की तैयारी में है। योजना की मंजूरी के लिए मंत्रालय जनवरी में कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्तावित योजना में डेवलपरों के पट्टे की अवधि बढ़ाकर 99 साल कर दिया गया है। इससे भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) और रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को और ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए बाजार से धन जुटाने के अधिकार मिलेंगे।

ज्यादा स्वायत्तता : • नई नीति के तहत 400 स्टेशनों का होना है पुनर्विकास • पहले चरण में 15 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा सकता है • कुल परियोजना 1 लाख करोड़ रुपये की जनवरी में मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी • इसके पहले की नीति निजी क्षेत्र को नहीं कर सकी थी आकर्षित।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 27.12.2017)

त्योहारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार कर रहा रेलवे

डायनामिक प्राइसिंग के तहत रेलवे दिवाली, दुर्गा पूजा व छठ जैसे त्योहारों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। साथ ही असुविधाजनक घंटों, कम लोकप्रिय मार्गों या बिना रसोईयान वाली ट्रेनों में सफर करने पर छूट देने का भी प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों को 31 दिसम्बर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। पिछले हफ्ते वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने एयरलाइनों की तर्ज पर प्रतिस्पर्धात्मक किराये निर्धारित करने के लिए फ्लेक्सीबल डायनामिक प्राइसिंग की जरूरत पर बल दिया। ईस्टर्न, वेस्टर्न और वेस्ट-सेंट्रल जोनों ने डायनामिक प्राइसिंग के कुछ उपाय सुझाए हैं। इनमें यह सुझाव भी शामिल है कि असुविधाजनक समय (उदाहरणार्थ रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक और दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक) पर अपने गंतव्य पर पहुँचने वाली ट्रेनों के किरायों में छूट प्रदान की जाए।

(साभार : दैनिक जागरण, 25.12.2017)

बिहटा-सरमेरा रोड दनियावां तक फोरलेन

बिहटा के कन्हौली से सड़क होगी शुरू, लगभग 47 किमी दूरी तयकर दनियावां तक जाएगी

बिहटा-सरमेरा रोड दनियावां तक फोरलेन होगा। बिहटा में कन्हौली इस सड़क की शुरुआत बिन्दु है, वहीं से फोरलेन सड़क शुरू होगी और लगभग 47 कि.मी. दूरी तयकर दनियावां तक जाएगी। इसके आगे लगभग 55 किलोमीटर तक यह सड़क दो लेन ही होगी। जहाँ चार लेन की सड़क होगी वहाँ राज्य सरकार पहले से दो लेन बना रही है, शेष दो लेन भारत सरकार बनाएगी।

सुविधा : • पटना रिंग रोड के एलाइनमेंट में शामिल हुआ सड़क का यह भाग • दो लेन राज्य सरकार बनवा रहा है, दो लेन का निर्माण केन्द्र कराएगा • 100.04 किलोमीटर है पथ की लंबाई • 46.7 किमी में फोरलेन बनना है • 1117 करोड़ है दो लेन की लागत • 2010 में ही हुआ था एग्रीमेंट।

"राज्य सरकार ने जो एलाइनमेंट तय किया है उसमें बिहटा-सरमेरा रोड के कन्हौली से दनियावां तक के भाग को रखा गया है। राज्य सरकार दो लेन की सड़क बना रही है। विस्तार केन्द्र सरकार करेगी।"

– नन्द किशोर यादव, मंत्री

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 29.12.2017)

बिना ई-चालान नहीं होगी ईंट ढुलाई

बालू व पत्थर की तरह अब ईंट का परिवहन भी बिना ई-चालान के नहीं होगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के सभी ईंट भट्ठा संचालकों को इस विषय में सूचित कर दिया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 15 जनवरी से बिना ई-चालान के ईंट की ढुलाई करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खान एवं भूतत्व विभाग ने दिनांक 21.12.2017 को ईंट भट्ठा संचालकों के लिए इस आशय की सूचना जारी कर दी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि राज्य के सभी 38 जिलों के ईंट भट्ठा संचालकों के लिए आगामी 3 व 4 जनवरी को पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला के पहले दिन के पहले सत्र में सुबह 10.00 बजे से 12.00 बजे तक भोजपुर, रोहतास, पटना, नालंदा, कैमूर, गोपालगंज, सिवान, सहस्सा, सुपौल व मधेपुरा के ईंट भट्ठा संचालकों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जबकि कार्यशाला का दूसरा सत्र दोपहर 1.00 बजे से 3.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिसमें बक्सर, गया, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय व खगड़िया के ईंट भट्ठा संचालक भाग लेंगे। इसी तरह 4 जनवरी को पहले सत्र में जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर प. चंपारण, पू. चंपारण, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी व पूर्णिया तथा दूसरे सत्र में अररिया, किशनगंज, कटिहार, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, भागलपुर व सारण के ईंट भट्ठा संचालक शिरकत करेंगे।

निर्देश जारी : • 15 जनवरी से बिना ई-चालान के ईंट की दुलाई पर होगी कार्रवाई • ईंट भट्ठा संचालकों के लिए पटना में आयोजित होगी दो दिवसीय कार्यशाला।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.12.2017)

रेशम के विकास को खुलेगा एडवांस सेंटर

कृषि मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एडवांस सेन्टर ऑन सेरीकल्चर की स्थापना होगी। सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके लिए किशनगंज कृषि कॉलेज को तत्काल 60 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मंत्री ने कहा कि किशनगंज कृषि महाविद्यालय में एडवांस सेन्टर की स्थापना के लिए कुल 101 शैक्षणिक और गेर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है। इसमें तीन मुख्य वैज्ञानिक, 14 वरीय वैज्ञानिक तथा 42 कनीय वैज्ञानिकों के साथ-साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से 42 विभिन्न गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। रेशम के अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थापित होने वाले इस एडवांस सेन्टर में शहतूत के पेड़ के प्रजनन एवं अनुवांशिकी, शहतूत उत्पादन, रेशम के कीड़े का प्रजनन व अनुवांशिकी, रेशम के कीड़े की रीलिंग तकनीक, टेक्सटाइल तकनीक, रेशम में लगने वाले कीट व्याधि आदि से संबंधित संकाय बनाए जाएंगे। इस सेन्टर से राज्य विशेषकर पूर्णिया व कोसी प्रमंडल में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही रोजगार के अतिरिक्त साधन सृजित होंगे। डॉ. कुमार ने कहा कि भागलपुर रेशम उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह हमारी संस्कृति और परम्परा के साथ जुड़ा है। रेशम उत्पादन ग्रामीणों के लिए लाभदायक उद्यम है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.12.2017)**

ऑर्गेनिक वेजिटेबल कॉरिडोर बनेगा सोन का कछार

रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से खेत, किसानों और खाने वालों को होने वाले नुकसान के बाद अब ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग बढ़ने लगी है। तीसरे कृषि रोड मैप में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू अभियान में जिले के सोनतटीय क्षेत्र को वेजिटेबल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी व अनाज की खेती के लिए पहल कर दी गई है। नासरीगंज से नौहट्टा तक लगभग सौ किलोमीटर के इस क्षेत्र में सब्जी की ऑर्गेनिक खेती से तीन हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सबकुछ ठीक रहा तो नए वर्ष में ये कॉरिडोर आकार लेना शुरू कर देगा।

"गगा की तरह सोन के तटीय इलाके को सब्जी व अनाज की आर्गेनिक खेती के लिए विकसित कर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया है। डीएम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। राज्य भर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक-एक जैविक ग्राम का चयन भी किया जा रहा है। अन्य प्रमुख नदियों के तटीय क्षेत्रों को कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।"

– डॉ. प्रेम कुमार, कृषि मंत्री, बिहार

(विस्तृत : दैनिक जागरण 27.12.2017)

कोसी क्षेत्र में केला पकाने के लिए लगी पहली मशीन

कच्चे केले को पकाने के लिए कोसी क्षेत्र में पहली मशीन सहरसा के सराही मोहल्ले में लगायी गयी है। केमिकल रहित मशीन द्वारा महज पाँच दिन में

सैकड़ों केले को पकाया जाता है। 8 लाख की लागत से इस तरह की मशीन पहली बार कोसी क्षेत्र में लगाये जाने से अन्य केला व्यवसायी इसका उपयोग कर रहे हैं। नवगाछिया, धमदाहा सहित अन्य जगहों से व्यवसायी कच्चा केला लाकर मशीन में पकाकर बेचते हैं। कच्चा केला की खरीद सस्ती दर में होने और पाँच दिनों में पक जाने से व्यवसायियों को काफी फायदा मिलने लगा है। एक बार में पाँच सौ कैरेट केला पाँच दिनों में पक जाता है। एक कैरेट में 10 दर्जन से अधिक केला होता है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 27.12.2017)**

अनुदानित दर पर खाद के लिए आधार जरूरी

खाद के सभी डीलरों को पेमेंट ऑन सेल (पीओएस) मशीन दे रही है सरकार

अनुदानित दर पर खाद अब बिना आधार कार्ड के नहीं मिलेगा। किसानों को खाद खरीदने के लिए आधार कार्ड के साथ दुकान पर जाना होगा। अन्यथा उन्हें खाद की पूरी कीमत चुकानी होगी। एक जनवरी, 2018 से यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 27.12.2017)**

नए साल का तोहफा होगा पार्किंग परिसर

राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर बना नया पार्किंग परिसर रेल यात्रियों के लिए नए साल का तोहफा होगा। रेलवे विभाग ने इसे बेहतर यात्री सुविधाओं से लैस किया है। जिससे यहाँ आने-जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की अनुविधाओं का सामना न करना पड़े। दानापुर मंडल रेल प्रबंधक रंजन प्रकाश ठाकुर ने कहा कि नए पार्किंग परिसर के बन जाने से अब टर्मिनल का मुख्य परिसर पूरी तरह खाली रहेगी। इससे यात्रियों को दिक्कतें नहीं झेलनी होगी।

यात्री सुविधा : • राजेन्द्र नगर टर्मिनल का मुख्य परिसर अब रहेगा खाली • बाहर से लौट जाएंगी सवारी उतारकर जाने वाली गड़ियाँ • मुख्य परिसर में ही खड़ी रहेंगी ओला की टैक्सियां • पार्किंग परिसर के बगल ही बना पर्यटन केन्द्र, मिलेगी जानकारी **(विस्तृत : दैनिक जागरण 27.12.2017)**

6000 करोड़ में बक्सर से मिर्जा चौकी तक 418 किसी एनएच होगी फोरलेन

गंगा के दक्षिण फोरलेन हाईवे से
अब यूपी से झारखंड तक जाने में होगी सहूलियत

बक्सर से मिर्जा चौकी गंगा नदी के दक्षिण फोरलेन हाईवे से अब गाड़ियाँ आर-पार होंगी। इससे उत्तर प्रदेश से झारखण्ड तक बिहार हिस्से की 418 किमी की यह दूरी तय करने में सुविधा होगी। इस हिस्से में पटना से बख्तियारपुर की 51 किसी की दूरी ही अबतक फोरलेन हाईवे बन पाया है, जिसके निर्माण पर 574 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना के मुताबिक अगले वर्ष मार्च तक बचे 367 किसी लंबाई के एलाइनमेंट में फोरलेन हाईवे का निर्माण शुरू हो जाएगा। इनके निर्माण पर करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। फिलहाल बक्सर से पटना और बख्तियारपुर से मोकामा तक फोरलेन राजमार्ग का निर्माण जारी है। इसमें बक्सर से भोजपुर, भोजपुर से कोईलवर और कोईलवर से पटना तक तीन हिस्से में फोरलेन हाईवे का अलग-अलग निर्माण हो रहा है। कोईलवर से पटना वाले सड़क हिस्से में जमीन अधिग्रहण की थोड़ी समस्या है, जिसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

मोकामा से भागलपुर, भागलपुर से मिर्जा चौकी तक सड़क 2 लेन

मोकामा से भागलपुर और भागलपुर से मिर्जा चौकी तक फोरलेन राजमार्ग का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। इसके बाद यूपी बॉर्डर से झारखंड बॉर्डर तक यानी गंगा नदी की दक्षिण तरफ पश्चिम से पूर्व बिहार की दूरी सुगम होगी। मोकामा से लखीसराय होते हुए मुंगेर और मुंगेर से भागलपुर, कहलगाँव होते हुए मिर्जा चौकी यानी झारखण्ड बॉर्डर तक इस एनएच की लंबाई 191 किमी है। फिलहाल मोकामा से मुंगेर तक सड़क 2 लेन चौड़ी हो चुकी है। मुंगेर से भागलपुर होते मिर्जा चौकी तक सड़क भी 2 लेन चौड़ी की जा रही है। भागलपुर से कहलगाँव होते हुए मिर्जा चौकी तक सड़क की हालत ठीक नहीं है। यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए 2 लेन चौड़ी सड़क पर अब गाड़ियों का गति बढ़ नहीं पा रही है।

गंगा नदी पर चार नए बड़े पुल इस हाईवे से जुड़ेंगे : इस हाईवे से गंगा नदी पर नए चार बड़े पुल जुड़ने वाले हैं। वहीं कोईलवर में सोन नदी पर फोरलेन नया पुल बन रहा है। इन सभी पुलों से उत्तर से दक्षिण बिहार आने जाना सुगम हो जाएगा। फिलहाल कोईलवर, मोकामा और भागलपुर में 2 लेन पुल है, जिससे गाड़ियाँ आर-पार हो रही हैं। तीन पुलों के अलावा चार नए पुल अगले कुछ वर्षों में चालू हो जाएँगे। मुंगेर में थ्री लेन पुल बन चुका है। एप्रोच नहीं बनने से इस पुल का उपयोग नहीं हो पा रहा है। सुलतानगंज में फोर लेन पुल का निर्माण पहले से जारी है। मोकामा में सिक्स लेन पुल गंगा नदीं पर नए चार बड़े पुल जुड़ने वाले हैं।

सड़कें एक नजर में

सड़क	लंबाई	लागत	सड़क	लंबाई	लागत
बक्सर-भोजपुर	48 किमी	868	बख्तियारपुर-मोकामा	51 किमी	1167
भोजपुर-कोईलवर	44 किमी	1050	मोकामा-मुंगेर	70 किमी	352
कोईलवर-पटना	33 किमी	761	मुंगेर-मिर्जाचौकी	121 किमी	1800

(पटना से बख्तियारपुर सड़क फोरलेन हो चुकी है)

लंबाई किमी तथा लागत करोड़ रुपए में

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.12.2017)

नौ माह में योजना बजट की 40% राशि ही हुई खर्च

तीन माह में 48 हजार करोड़ खर्च करने की चुनौती

वित्तीय वर्ष 2017-18 के समाप्त होने में तीन माह शेष है। इस अवधि में बिहार सरकार के सामने विकास योजनाओं पर 48 हजार करोड़ खर्च करने की चुनौती है। बीते नौ महीने में राज्य सरकार योजना बजट की महज 40 फीसदी राशि ही खर्च कर पाई है। यह राशि करीब 32 हजार करोड़ रुपए है।

वित्त विभाग द्वारा बीते नौ महीने में योजना मद में हुए खर्च से संबंधित विवरण में इसका खुलासा हुआ। इस दौरान मद्य निषेध एवं निबंधन और सामान्य प्रशासन, विभाग का खर्च नगण्य है। वर्ष 2017-18 का योजना व्यय 80891 करोड़ है। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि खर्च की स्थिति को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट जरूरत आधारित बनाने का निर्देश वित्त विभाग ने दिया है।

सर्वाधिक खर्च करने वाले विभाग

विभाग	राशि	खर्च	प्रतिशत में
विज्ञान एवं प्रावैधिकी	135 करोड़	197 करोड़	145
ऊर्जा	6795 करोड़	5576 करोड़	82
पीएचईडी	2009 करोड़	1484 करोड़	73
पंचायती राज	2136 करोड़	1313 करोड़	61
गन्ना विभाग	102 करोड़	59 करोड़	58
पथ निर्माण	5703 करोड़	3237 करोड़	57

सबसे कम खर्च करने वाले विभाग

विभाग	राशि	खर्च	प्रतिशत में
मद्य निषेध एवं निबंधन	01 करोड़	00	00
सामान्य प्रशासन	58 करोड़	00	00
ओबीसी और एमबीसी	1522 करोड़	07 करोड़	0.48

(यह आंकड़ा 13 दिसम्बर, 2017 तक का है)

(साभार : दैनिक भास्कर, 26.12.2017)

टेक्सटाइल क्षेत्र में कौशल विकास को योजना मंजूर

टेक्सटाइल क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास के जरिये रोजगार मुहैया कराने के मकसद से मोदी सरकर ने भारी भरकम 1300 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण संस्थान टेक्सटाइल क्षेत्र में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण मुहैया कराकर उन कंपनियों में प्लेसमेंट कराएंगे जहाँ कामगारों की आवश्यकता है। इस संबंध में केन्द्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के संबंधित शिक्षण संस्थान कंपनियों के साथ करार भी करेंगे। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.12.2017)**

जिलों से पाँच घंटे में राजधानी पहुंचने का नया लक्ष्य

सरकार ने राज्य के किसी कोने से छह घंटे में पटना पहुँचने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब किसी कोने से पाँच घंटे में पटना पहुँचने के लक्ष्य पर काम शुरू हुआ है। इसके लिए राज्यभर में मुख्य सड़कों के अलावा छोटी राह को दुरुस्त करने पर सरकार का जोर है। राज्य में मुख्य सड़कों को दुरुस्त कर लिया गया है। लिहाजा जिलों से राजधानी पहुँचने का समय तो कम हो गया है, लेकिन पटना पहुँचने के बाद जाम की समस्या अभी जस की तस है। गंगा, सोन और कोसी नदियों पर पुलों की संख्या कम होने के कारण भी पटना पहुँचने में समय अधिक लग रहा है। लिहाजा सरकार ने गंगा पर आरा-छपरा और दीघा-सोनपुर जैसे दो नये पुलों को चालू कर दिया। सोन नदी पर भी फोरलेन का एक बड़ा पुल दाउदनगर और नासरीगंज के बीच तैयार है। पहुँच पथ के बनते ही इस पुल को भी चालू कर दिया जाएगा।

शुरू हुई पहल : • बख्तियारपुर से खगड़िया तक चार लेन की सड़क का शिलान्यास।

जो होना है इस साल : • पटना-गया-डोभी पथ को पूरा करना है • आरा-मोहनियां रोड को फोर लेन बनाना • बख्तियारपुर-रजौली रोड को फोरलेन बनाना • आर ब्लॉक फ्लाईओवर को मीठापुर से जोड़ना • मीठापुर फ्लाईओवर को भिखारी ठाकुर पुल से जोड़ना, बिहटा-सरमेरा रोड का निर्माण

वर्ष 2017 की उपलब्धियाँ : • गंगा पर बने गाँधी सेतु का जीर्णोद्धार शुरू • गंगा पर गाँधी सेतु के समानातर नये पुल को स्वीकृति • राज्य में सात नये ओवरब्रिज को मंजूरी • सगुना मोड़ से बिहटा एयरपोर्ट के लिए अलग सड़क का प्लान तैयार

पटना को मिले कई नए ओवरब्रिज : 2017 में पथ निर्माण विभाग और उसकी अनुषंगी इकाई पुल निर्माण निगम के माध्यम से पटना शहर को कई सौगातें मिलीं। पटना जंक्शन के सामने जीपीओ से लेकर चिरैयांटांड़ तक नए ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। एग्जीबिशन रोड के ऊपर रामगुलाम चौक से लेकर चिरैयांटांड़पुल को मिलानेवाली नई ओवरब्रिज का निर्माण हुआ। इन दोनों पुलों से उत्तरी पटना को दक्षिणी पटना तक जाने के लिए बिना व्यवधान के नया रास्ता मिला। यही नहीं हमेशा जाम से त्रस्त रहनेवाला स्टेशन रोड, एग्जीबिशन रोड को भी जाम से राहत मिली।

पटना में जो होना है इस साल : • सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना लोहिया पथ का काम भी इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इससे पटना की मुख्य सड़कें बेली रोड, हार्डिंग रोड, दारोगा राय पथ वीरचन्द पटेल पथ जाम मुक्त हो जाएंगी। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.12.2017)**

कीमत कम दिखा जमीन की रजिस्ट्री अब संभव नहीं

राज्य में प्रगतिशील कैटेगरी खत्म होने से बंद होगा यह खेल, अब सभी जमीन आवासीय ही मानी जाएगी

कीमत कम दिखाकर जमीन की रजिस्ट्री कराना अब संभव नहीं रहा। आवासीय जमीन को प्रगतिशील बताकर रजिस्ट्री में सरकार को चूना लगाने का खेल अब नहीं चलेगा। राज्य सरकार ने जमीन की प्रगतिशील कैटेगरी को खत्म कर दिया है। नई व्यवस्था में गाँव की सड़कों के आसपास की जमीन भी अब आवासीय ही मानी जाएगी। शहरी इलाके में जमीन का छोटा प्लॉट खरीदने वाले आवासीय भूमि में निबंधन नहीं कराते हैं। जो इलाका पूरी तरह से डेवलप हो गया है और वहाँ सरकारी सुविधा उपलब्ध है तब तो उन्हें आवासीय कैटेगरी में निबंधन कराना ही पड़ता है। लेकिन नए इलाके में बड़ा प्लॉट खरीदने वाले तो खेतिहर जमीन में रजिस्ट्री कराते हैं, लेकिन छोटा प्लॉट खरीदने वाले भी आवासीय कैटेगरी में रजिस्ट्री नहीं कराकर प्रगतिशील कैटेगरी में रजिस्ट्री कराते थे। दोनों कैटेगरी की जमीन की सरकारी दर में काफी अंतर होता है और इससे खरीददार की कम रेवेन्यू देना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने प्रगतिशील कैटेगरी को खत्म कर दिया है और अब छोटा प्लॉट खरीदने वाले को भी आवासीय कैटेगरी में ही निबंधन कराना होगा। उसी हिसाब से सरकार को रेवेन्यू भी देना होगा। राज्यभर में जमीन का सरकारी रेट अलग-अलग है। नए इलाके में पटना शहर के विस्तार के साथ बड़ी संख्या में लोग उन इलाकों में जमीन खरीदते हैं, जिनके जल्द विकसित होने की संभावना है। ऐसे सभी लोग नई व्यवस्था से प्रभावित होंगे।

राज्य में जमीन का वर्गीकरण : • ग्रामीण इलाके में व्यावसायिक भूमि और औद्योगिक भूमि के अलावा आबादी वाले इलाकों को आवासीय भूमि का दर्जा था। यह अभी भी है • एनएच या एसएच के दोनों छोर में 100 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की दोनों और 50 मीटर तक की भूमि के साथ गाँव से गुजरने वाली सड़क की बगल वाली भूमि को विकासशील श्रेणी का दर्जा था जो खत्म हो गया। इन्हें आवासीय माना जाएगा • सरकारी या निजी सुविधाओ से सिंचित जमीन को सिंचित भूमि, साल में एक फसल होने पर असिंचित भूमि व फसल न होने वाले क्षेत्र को बलुआही भूमि कहा गया है।

(इसी तरह शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक, औद्योगिक, आवासीय व प्रगतिशील भूमि की अलग-अलग श्रेणी थी। यहाँ भी प्रगतिशील कैटेगरी खत्म हो गयी।)

एक नजर में व्यवस्था : • 45 दिन लगते है भूमि की कैटगरी बदलने में • 3.5 हजार लोग रोज म्यूटेशन कराते हैं • 1.15 करोड़ होल्डिंग की हर साल कटती है लगान रसीद • 93.60 लाख हेक्टेयर है राज्य का रकबा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.12.2017)

गंगा ग्राम परियोजना में गाँवों का हुआ चयन

देश में गांगा किनारे के गांवों की स्वच्छता बरकरार रखने के उद्देश्य से भारत सरकर गंगा ग्राम परियोजना लागू कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के 24 गांवों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार के बक्सर का चौसा, पटना का पूर्वी पंडारक, समस्तीपुर का हेतनपुर और धरनीपट्टी शामिल हैं। देश के पाँच राज्यों के गंगा किनारे के 4470 गाँवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। इसमें बिहार के 12 जिले के 61 प्रखंडों के 307 ग्राम पंचायतों में से 472 गाँव भी शामिल हैं। यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने दी। वे 23 दिसम्बर को नयी दिल्ली में आयोजित स्वच्छता विषय पर आयोजित बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में उन्होंने एसबीएमजी में शत-प्रतिशत केंद्रांश की मांग की। **(साभार : हिन्दुस्तान, 26.12.2017)**

सभी प्रमंडलों में तैनात होंगे जोनल आईजी

राज्य में कानून-व्यवस्था को और चाक-चौबंद बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी

फील्ड में पुलिस को और चाक-चौबंद बनाने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी है। इस कड़ी में बिहार में जोनल आईजी के पद सभी नौ प्रमंडलों में सृजित किए जाएँगे। पुलिस मुख्यालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है। यह कवायद सिरे चढ़ी तो राज्य में 5 और जोनल आईजी बढ़ जाएंगे।

34 आईजी हैं बिहार कैडर में अभी, इनमें 13 केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर • 11 है डीआईजी की संख्या, इनमें तीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर • 12 पद हैं राज्य में रेंज डीआईजी (रेल पुलिस सहित) के।

"अभी जोनल आईजी और रेंज डीआईजी के पद हैं। पुलिस प्रमंडलों में सिर्फ आईजी के पद रखे जाएँ। जल्द ही इसपर अंतिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।"
– एस. के. सिंघल, एडीजी (मुख्यालय)

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 26.12.2017)

छोटे-बड़े निवेश को आकर्षित करने की होती रही तैयारी

उम्मीदें 2018

राज्य में छोटे-बड़े निवेश को आकर्षित करने की पूरे वर्ष तैयारी की जाती रही। जहाँ पिछले वर्ष लागू नयी औद्योगिक नीति, 2016 को जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया। वहीं, स्टार्टअप नीति 2017 एवं निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2017 के माध्यम से निवेश को बिहार में लाने का प्रयास किया गया। साथ ही शराबबंदी के बाद नीरा नियमावली, 2017 को भी तैयार किया गया। निवेश की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो एक्ट, 2017 बनाया गया है जिसके आधार पर एक जनवरी से सिंगल विंडों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विभाग ने इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बिहार औद्योगिक निवेश

प्रोत्साहन नियमावली, 2016 में संशोधन कर सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिए जाने की समय सीमा निर्धारित की है।

उद्योग : • पिछले वर्ष लागू नई औद्योगिक नीति को जमीन पर उतारने का प्रयास • निर्णय लिए जाने की समय सीमा निर्धारित की गयी

वर्ष 2017 की उपलब्धियाँ : • स्टार्ट अप नीति लागू की, कृषि आधारित उद्योगों को प्रमुखता • सिगल विंडो सिस्टम को आधुनिक बनाया गया • स्थानीय उद्योगों के लिए कलस्टर बनाने का निर्णय

जो होना है इस साल : • कृषि आधारित उद्योगों के सहारे औद्योगिकीकरण • प्रत्येक जिले में स्थानीय उद्योगों का समूह तैयार कर उसे विशेष रूप से प्रोत्याहित करने की योजना • खाद्य प्रसंस्करण आधारित निवेश योजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी • 1 जनवरी से सिंगल विंडों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू

उद्योग के विकास के लिए हुए कई काम : पटना जिले में उद्योग के विकास के लिए कई काम हुए। बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में कई नई इकाइयाँ स्थापित की गई है। कुछ और इकाइयों को स्थापित करने का काम चल रहा है। बेरोजगार युवकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया।

जिला उद्योग केन्द्र की उपलब्धियाँ : बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत 8 लोगों की मदद कर इंडस्ट्री लगाई गई। पीएमईजीपी के तहत 800 से अधिक आवेदन बैंको को भेज गया, इसमें से 52 को बैंक से लोन स्वीकृत हो गया है, 31 मार्च तक लक्ष्य के अनुरूप 120 को लोन दिलाया जाएगा। स्टार्टअप पालिसी के तहत राज्यभर में 32 स्टार्टअप्स का चयन हुआ, इसमे से जिला उद्योग केन्द्र की मदद से 12 का चयन हुआ।

जो होना है इस साल : अगले वर्ष पीएमइजीपी के तहत 200 से अधिक को मदद का लक्ष्य है। स्टार्टअप को मदद देने और बुनकरों के लिए कर्मशाला बनाकर देने की योजना है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.12.2017)**

ठेके पर कामगार रखने-निकालने की फिर मंजूरी!

केन्द्र सरकार एक बार फिर वही प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, जिसमें उद्योग जगत को निश्चित अवधि के लिए ठेके पर कर्मचारी रखने का अधिकार मिल जाएगा। यह प्रस्ताव लागू हुआ तो उद्योग जगत को छोटी अवधि के लिए कर्मचारी रखने और परियोजना पूरी होने पर उन्हें निकाल देने का अधिकार हासिल हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने किसी खास समय में होने वाले कामों के लिए कामगार रखने और बाद में हटा देने के मामले में ढिलाई बरतने की अनुमपि मांगी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ने हाल ही में इसकी इजाजत मांगी है। किसी खास क्षेत्र को इजाजत देने के बजाय हम सभी उद्योगों को किसी निर्धारित अवधि के लिए कर्मचारी रखने की अनुमति दे सकते हैं।' **(बिज़नेस स्टैंडर्ड, 27.12.17)**

मिट्टी के व्यवसाय के लिए भी अब ई-चालान अनिवार्य

विभाग ने मिट्टी के खनन व व्यवसाय के लिए जारी की शर्तें

राज्य में बालू, पत्थर और ईंट के साथ-साथ अब मिट्टी का खनन और परिवहन भी बिना ई-चालान के नहीं होगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने दिनांक 22.12.2017 को मिट्टी खनन व परिवहन के लिए अपनी शर्तें घोषित कर दी है। विभाग ने मिट्टी के कारोबार के लिए सरकार के कार्य विभागों के संवेदकों और साधारण मिट्टी का कारीबार करने के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित की हैं।

(विस्तृत : दैनिक जागरण 23.12.2017)

रेलवे ट्रैक निर्माण की बाधा दूर

एनटीपीसी बाढ़ को अब कोडरमा-तिलौया, राजगीर, बख्तियारपुर रेल लाइन से सीधे कोयला मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अतिक्रमण हट जाने से करनौती हाल्ट से बाढ़ तक लिंक रेल ट्रैक के निर्माण में तेजी आएगी। इससे एनटीपीसी बाढ़ को सुगमता से कोयले की आपूर्ति होगी। कोयला आपूर्ति के लिए रेल लाइन हेतु जमीन का अधिग्रहण 17 साल पूर्व हुआ था। हालांकि तबसे अतिक्रमण में थी। अब जाकर यह मुक्त कराई गई। **(दैनिक जागरण, 24.11.2017)**

दीघा पुल के रास्ते अगले साल के अंत तक बनेगी डबल रेल लाइन

यात्रियों को होगी सहूलियत /पाटलिपुत्र से सोनपुर तक डबल ट्रैक का जल्द शुरू होगा काम

दीघा ब्रिज के रास्ते पाटलिपुत्र से सोनपुर तक अगले साल डबल ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। इस रूट पर डबलिंग वर्क का टेंडर अवार्ड हो चुका है। दिसम्बर, 2018 तक काम पूरा करने का लक्ष्य है। माना जा रहा है कि दिसम्बर में डबलिंग का काम शुरू हो जाएगा। काम जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से कई कंपनियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में टेंडर अवार्ड किया गया है।

पूर्व मध्य रेल के सीपीआरओ राजेश कुमार के अनुसार, डबलिंग का कार्य पहले से ही स्वीकृत था। इस बार के बजट में इसके लिए पर्याप्त राशि भी घोषित हुई थी। कुछ हिस्से का टेंडर पूरा नहीं होने के कारण काम शुरू होने में देरी हुई। सब कुछ ठीक रहा तो जन्द ही काम शुरु हो जाएगा। दीघा पुल पर डबल ट्रैक के अनुसार ही निर्माण हुआ है।

पाटलिपुत्र से खुलने व गुजरने वाली ट्रेनें : • 12323 व 12324 डिब्रूगढ राजधानी • 12505 व 12506 नार्थ ईस्ट • 12487 व 12488 सीमांचल एक्प्रेस • सुंदरी एक्सप्रेस (साप्ताहिक) • गुवाहाटी-कामाख्या एसी एक्सप्रेस (हफ्ते में दो दिन) • 12529 व 12530 लखनऊ-पाटलिपुत्र इंटरसिटी (हफ्ते में 5 दिन) • जयनगर इंटरसिटी (हफ्ते में 5 दिन) • जयनगर इंटरसिटी (हफ्ते में 6 दिन) • दानापुर-सहरसा इंटरसिटी • रक्सौल इंटरसिटी (हफ्ते में 6 दिन) • गाजीपुर-हावड़ा एक्सप्रेस • गाजीपुर-हावड़ा एक्सप्रेस • गोरखपुर पैसेंजर • पटना-पाटलिपुत्र-बरौनी पैसेंजर • मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र पैसेंजर • अगरतल्ला-आनंदविहार राजधानी (साप्ताहिक) • पाटलिपुत्र-यशवंतपुर (साप्ताहिक) • पाटलिपुत्र-चंडीगढ़ एक्स. (साप्ताहिक) • पाटलिपुत्र- लोक-मान्य तिलक सुपरफास्ट। **(साभार : दैनिक भास्कर, 16.11.2017)**

बिहार अपने बूते बनाएगा 400 केवी के 3 सुपरग्रिड

बख्तियारपुर, नौबतपुर व जक्कनपुर में बनेगा ग्रिड

बिहार अपने बूते 400 केवी क्षमता का तीन सुपरग्रिड बनाएगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार में बैलेंस ऑफ पावर तो होगा ही मध्य बिहार ट्रांसमिशन लाइन की बड़ी शक्ति भी बन जाएगा। इन ग्रिडों के माध्यम से राज्य में कहीं भी बिजली की जरूरत पूरी हो सकेगी। बख्तियारपुर, नौबतपुर और जक्कनपुर में ये ग्रिड बनेंने। बिहार में जो ग्रिड अभी तक हैं, वे 220-132 केवी के ही हैं। जबकि इनकी क्षमता 400 केवी होगी। हालांकि, यहाँ केन्द्र सरकार का उच्च क्षमता का ग्रिड है, लेकिन बिहार का अपना ग्रिड इतनी क्षमता का नहीं है। नए ग्रिडों के निर्माण पर एक हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 9.11.2017)

सूबे को 300 मेगावाट सस्ती बिजली

बिहार को इसी साल से जिंदाल थर्मल पावर से सस्ती बिजली मिलेगी। 25 सालों तक बिजली लेने के लिए कंपनी पहले ही करार कर चुकी है। पहले यह बिजली दिसम्बर 2018 से मिलने वाली थी, लेकिन अब जिंदल पावर ने इसी साल दिसम्बर से बिजली देने का प्रस्ताव दिया है।

ये होगा फायदा : • बिजली आपूर्ति निर्बाध होगी कल-कारखानों को अधिक बिजली मिलेगी पिक आवर में बिजली कट कम होगा • 25 साल तक कंपनी ने बिजली खरीदने का किया है करार।

मौजूदा स्थिति : • 4500 मेगावाट की जरूरत है हर रोज • 3800 मेगावाट की औसतन आपूर्ति है • 2942 मेगावाट केन्द्रीय सेक्टर से है आवंटन • 2200 मेगावाट औसतन केन्द्र से मिलती है • 1600 मेगा. औसतन हर रोज खरीद।

(साभार : हिन्दुस्तान, 27.11.2017)

छोटे दुकानदारों को कचरा उठाव के लिए देना होगा रु 100 प्रतिमाह

नगर निगम क्षेत्र में खुले में कूड़ा फेंकने पर जुर्माने की प्रस्तावित दर : • 200 घरों से फेंकने पर • 10000 मैरेज हॉल, पार्टी, प्रदर्शनी • 200 स्ट्रीट

वेंडर द्वारा कचरा फैलाने पर • 500 गैर आवासीय परिसर से • 1000 आवासीय निर्माण का कचरा फैलाने पर • 5000 गैर आवासीय निर्माण संबंधित कचरा फैलाने पर • 100 ओडीएफ घोषित वार्ड में खुले में मल-मूत्र त्याग पर • 5000 निगम क्षेत्र के क्लब, सिनेमा हॉल, पब्स, कम्युनिटी हॉल, मल्टीप्लेक्स।

ये वार्ड हैं ओडीएफ : 09, 22, 22बी, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 42, 49

हर माह नई दर से करना पड़ सकता है भुगतान

पूर्व की दर	नया प्रस्ताव
60 रुपये प्रत्येक घर से	60
60 रुपये छोटे दुकानदार	100
300 रुपये ढाबा-मिठाई दुकान	300
1000 रुपये रेस्टोरेंट 50 कुर्सी, गेस्ट हाऊस, होटल	1000
1000 रुपये रेस्टोरेंट 50 कुर्सी से अधिक, गेस्ट हाऊस, होटल	3000
1000 कॉमर्शियल कार्यालय बैंक व अन्य सरकारी कार्यालय	1000
10,000 रुपये स्टार रेटेड होटल	5,000
1000 क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशाला	3000
3000 अस्पताल (50 बेड)	3000
10000 अस्पताल 50 बेड से ऊपर	5000
1000 छोटा उद्योग, वर्कशॉप	1000
5000 मैरेज हॉल, उत्सव हॉल, कोल्ड स्टोरेज	5000
10,000 बड़े मैरेज हॉल, सिनेमा हॉल	5000
2000 रुपये गोदाम	2000

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 27.11.2017) **(नोट राशि रुपये में और दर प्रतिमाह)**

बिहार के तीन पावर ग्रिडों पर ओड़िशा ने लगा दिया ग्रहण

परेशानी : सहरसा, गया व सीतामढ़ी में बनना है पावर ग्रिड

बिहार में बनने वाले तीन ग्रिडों पर ओडिशा ने ग्रहण लगा दिया है। सहरसा, गया के चंदौत और सीतामढ़ी में बनने वाले इस ग्रिड प्रोजेक्ट पर बिहार के साथ-साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम जैसे इस्टर्न राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है लेकिन ओड़िशा इससे पीछे हटा गया है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय से इस पर हस्तक्षेप की अपील की है। इस पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।

बिहार में विद्युत ग्रिड की स्थिति : • केन्द्र सरकार का 11ग्रिड • एनटीपीसी का 2 ग्रिड • पावर ग्रिड का 3 ग्रिड • बिहार सरकार बनवा रही 3 ग्रिड • बिहार सरकार का प्रस्तावित 2 ग्रिड।

"बिहार में स्थापित होने वाले तीनों ग्रिडों में आ रही समस्या के लिए केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री और केन्द्रीय ऊर्जा सचिव से बातचीत हुई है। उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। केन्द्र सरकार ने जल्द समाधान निकालने का भरोसा दिया है।" **– विजेन्द्र प्रसाद यादव,** ऊर्जा मंत्री

(विस्तृत : प्रभात खबर, 24.11.2017)

बिहार में दो साल में बनेंगे 348 पावर सब-स्टेशन

योजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए बिजली कंपनी ने एजेंसियो को महीनावार लक्ष्य दिया है। निबांध बिजली आपूर्ति के लिए कंपनी ने राज्य में बन रहे पावर सब-स्टेशनों को दो साल में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। एजेंसियों को हर हाल में 348 पावर सब-स्टेशन बनाने होंगे।

चल रहा काम : • निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए इन सबस्टेशनों का बनना जरूरी • एजेंसियों की धीमी रफ्तार के बाद कंपनी ने दिया महीनावार लक्ष्य।

(साभार - हिन्दुस्तान, 16.11.2017)

जनवरी से गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर जुर्माना

अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है, तो जल्द लगवा लीजिए। जनवरी से जिनकी गाड़ी में यह नहीं होगा, उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में गाड़ी की पूरी जानकारी रहती है। गाड़ी किसके नाम पर है, कब खरीदा गई है, इंजन नंबर सहित अन्य जानकारी बार कोड के रूप में रहती है। सामान्य नंबर प्लेट से इस तरह की जानकारी नहीं मिलती है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए बिस्कोमान स्थित जिला परिवहन कार्यालय में चालान जमा करना होगा। दोपहिया वाहन के लिए 131 रुपए और चारपहिया के लिए 335 रुपए का चालान जमा करना होगा। अन्य गाड़ियों के लिए भी अलग-अलग राशि तय है। चालान जमा करने के बाद नाइपास स्थित समानांतर जिला परिवहन कार्यालय से मोबाइल पर मैसेज आएगा। इस मैसेज में नंबर प्लेट तैयार होकर मिलने का समय रहेगा। इस दिन कार्यालय में गाड़ी लेकर जाएंगे तो कर्मी नंबर प्लेट लगा देंगे। इधर, जिला परिवहन पदाधिकारी अजय कुमार ठाकुर ने कहा कि राजधानी में करीब 3500 लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए चालान जमा किया है। उनका नंबर प्लेट बन चुका है, लेकिन उन्होंने अबतक लगवाया नहीं है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 5.11.2017)**

नोटबंदी के बाद संशोधित रिटर्न भरने वालों को देना पड़ सकता है ज्यादा टैक्स

नोटबंदी के बाद जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न में संशोधन किया है, उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। सीबीडीटी ने आयकर अधिकारियों को संशोधित रिटर्न की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया है। इसने कहा है कि जिन लोगों के पास कालेधन का पता चले, उन पर 'टैक्स की ऊंची दर' लगाई जाए। हालांकि इसने 'ऊंची दर' को स्पष्ट नहीं किया है। **(दैनिक भास्कर, 27.11.17)**

बैंकों में सरकारी राशि रखने के लिए तय होंगे नए मानक

उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैंकों को दी चेतावनी

राज्य सरकार का सहयोग नहीं करने वाले एवं ऋण देने में कोताही बरतने वाले बैंकों में सरकारी धन जमा नहीं होगा। इसके लिए बैंकों में सरकारी राशि रखने के लिए नए सिरे से मानक तय होंगे, साथ ही नए सिरे से बैंकों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। बैंकों पर शिकंजा कसते हुए राज्य सरकार ने यह हिदायत भी दी है कि जरूरत पड़ी तो राज्य में कार्यरत बैंकों के परफॉरमेंस रिकार्ड भी वित्त मंत्रालय से मांगे जाएंगे। इतना ही नहीं, बैंककर्मियों एवं राज्यकर्मियों की मिलीभगत से सरकारी राशि के घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार बैंकों को चेताया है।

31 दिसम्बर तक बैंकों में 542 आधार केन्द्र होंगे स्थापित : उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि एसएलबीसी की बैठक में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस साल हर 10 बैंक शाखा पर एक आधार केन्द्र खोलें। इस प्रकार राज्य में 31 दिसम्बर तक कुल 542 आधार केन्द्र बैंक शाखाओं में खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होंगी। इसलिए दिसम्बर तक बैंक खातों की आधार सीडिंग अनिवार्य हैं। राज्य में 32 लाख मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते को आधार से जोड़ना है।

एसएलबीसी की बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा के अलावे आरबीआई और नाबार्ड समेत सभी बैंकों के आला अधिकारी शामिल हुए।

(साभार : दैनिक जागरण, 5.11.2017)

CONSULTANT TO AID BUSINESS

The Bihar government has decided to bring "Professionalism" to the industries: department to provide "Ease Doing Business" to investors entrepreneurs and young men and women coming up with bright ideas for start-ups. The department, peeved with officials who do not understand new era entrepreneurship, will float a "request for proposal (RFP)" to hire a professional service and consulting company to guide investors.

"We are coming out with an RFP within a week and intend to hire a suitable professional company or institution by the end of this year. The selected one will have to interact, guide and handhold investors and entrepreneurs who want to set up units in Bihar," principal secretary, industries, S. Siddharth told The Telegraph.

(Source : Telegraph, 16.11.2017)

सुविधा : पाटलिपुत्रा जंक्शन पर बढ़ेगा एक और प्लेटफॉर्म

पहल : निरीक्षण करने पहुँचे डीआरएम ने वरीय अधिकारियों से मांगा प्लेटफॉर्म और पार्सल गोदाम निर्माण से संबंधित प्रस्ताव

पाटलिपुत्र जंक्शन पर एक और नया प्लेटफॉर्म बनेगा। यह प्लेटफॉर्म संख्या एक व दो के बीच की खाली भूखंड पर बनेगा। पाटलिपुत्र जंक्शन का निरीक्षण करने पहुँचे डीआरएम रंजन प्रकाश ठाकुर ने प्लेटफॉर्म निर्माण का प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा। इससे जंक्शन पर ट्रेनों की भार बढ़ने की समस्या नहीं रहेगी। साथ ही पार्सल गोदाम निर्माण के लिए भी प्रस्ताव मांगा।

संपर्क पथ को लेकर राज्य सरकार को भेजा जायेगा प्रस्ताव : जंक्शन पर आने के लिए एक ही ओर से प्रवेश द्वार है। जबकि, प्लेटफॉर्म तीन के बगल से राज्य सरकार एलिवेटेड फ्लाईओवर और सड़क बना रही है। डीआरएम ने अधिकारियों से पूछा कि संपर्क पथ बन जायेगा, तो पीछे से भी यात्री आ-जा सकेंगे। **(विस्तृत : प्रभात खबर, 9.11.2017)**

राज्य के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को पुनर्जीवित करेगी सरकार

रजौली से नेपाल तक 254 किमी फोर लेन हाईवे का निर्माण शुरू, कोलकाता बंदरगाह से नेपाल सामान पहुंचाने का होगा सबसे आसान मार्ग

पथ निर्माण विभाग ने राज्य के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत रजौली से नेपाल तक 254 किमी फोर लेन हाईवे विकसित किया जाएगा। विभागीय मंत्री नंदकिशोर यादव ने अपने पिछले कार्यकाल में बनाई वैसी योजनाओं की समीक्षा की है, जिन पर पिछले दो साल में कोई काम नहीं हुआ है।

इस प्रस्तावित कॉरिडोर के माध्यम से राज्य की उत्तरी सीमा (नेपाल बॉर्डर) से फोर लेन एक्सप्रेस-वे होते हुए गाड़ियाँ आसानी से दक्षिणी सीमा झारखंड में प्रवेश कर जाएंगी। कोलकाता बंदरगाह से नेपाल सामान पहुँचाने का भी यह वैकल्पिक और सबसे आसान मार्ग होगा। इस कॉरिडोर के एलाइनमेंट में भिट्ठा मोड़ (नेपाल बॉर्डर) से ताजपुर तक 95 किमी लंबे एक्सप्रेस-वे के पीएफआर में लागत 3064 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। उत्तर बिहार में यह एक्सप्रेस-वे कॉरिडोर राज्य के 4 जिलों सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से गुजरेगा। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.11.2017)**

बिना सब्सिडी के टैरिफ निर्धारित करेगा विद्युत विनियामक आयोग

बिहार विद्युत विनियामक आयोग इस बार भी बिना सब्सिडी के ही नये टैरिफ का निर्धारण करेगा। बिजली वितरण कंपनी ने आयोग को सब्सिडी और बिना सब्सिडी के प्रति यूनिट के बिजली के आधार पर प्रस्ताव दिया है। लेकिन आयोग बिना सब्सिडी के ही नये टैरिफ का प्रस्ताव राज्य सरकार को देने की तैयारी कर रहा है। इसमें राज्य सरकार अपनी ओर से सब्सिडी दे सकेगी। 2017-18 में निर्धारित किये गये टैरिफ में भी आयोग ने बिना सब्सिडी के करीब 55 फीसदी बढ़ोतरी के साथ टैरिफ का प्रस्ताव दिया था। बाद में राज्य सरकार ने करीब 35% सब्सिडी दी थी।

विद्युत विनायमक आयोग को मिला प्रस्ताव व 2017 में दी गयी टैरिफ

शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र		
यूनिट	2018 के लिए प्रस्ताव	2017 में दी गयी टैरिफ	यूनिट	2018 के लिए प्रस्ताव	2017 में दी गयी टैरिफ
1-100	रु 4.60	रु 5.75	0-50	रु 5.15	रु 5.75
101-200	रु 6.90	रु 6.50	51-100	रु 6.50	रु 6.00
201-300	रु 8.40	रु 7.25	100 से अधिक	रु 7.50	रु 6.25
300 से अधिक	रु 8.90	रु 8.00	राज्य सरकार अपनी ओर से दे सकेगी सब्सिडी		

इसके बाद उपभोक्ताओं को 20% बढ़ोतरी के साथ बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। वैसे अन्य वर्षों में टैरिफ में अधिकतम 12% तक की ही वृद्धि होती थी। आयोग ने इस बार भी राज्य सरकार को बिना सब्सिडी के ही टैरिफ निर्धारित कर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए आयोग जनवरी- फरवरी में जन सुनवाई करेगा। इसके बाद मार्च में ही अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा।

(प्रभात खबर, 18.12.2017)

जीएसटी की 12 व 18 दरों का होगा विलय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में दरों को लेकर जंजाल कुछ कम होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ संकेत दिया है कि जीएसटी की 12 और 18 फीसद की दरों का विलय हो जाएगा। इससे जीएसटी दरों की संख्या घटकर तीन रह जाएगी। अंतत: इसके दो ही स्लैब बचेंगे। हालांकि जीएसटी की 28 फीसद वाली उच्चतम दर बनी रहेगी। अलबत्ता इसमें मौजूद वस्तुओं की संख्या बेहद कम हो जाएगी। फिलहाल जीएसटी के 5, 12, 18 व 28 फीसद के चार स्लैब हैं। इसके अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों पर कोई टैक्स नहीं है।

जेटली ने एक कार्यक्रम में कहा कि इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत कई दरों के साथ की गई। इसका मकसद कर भार को जीएसटी के पहले वाले स्तर पर बनाए रखना था। आगे चलकर अंतत: दो ही दरें रह जाएंगी। सरकार की राजस्व स्थिति से तय होगा कि यह काम कितनी जल्दी होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक पहले ही 28 फीसद के स्लैब से वस्तुओं की संख्या घटाकर 48 तक लाई गई है।

इस स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या में और कमी लाई जाएगी। इसमें मुख्य रूप से लक्जरी और सिगरेट जैसी अवगुणी वस्तुएँ (सिन गुड्स) ही बचेंगी। जब जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी होगी, तो सरकार देखेगी कि क्या 12 और 18 फीसद वाली दरों को मिलाने की गुंजाइश है। जेटली ने साफ कर दिया कि जीएसटी की एक दर भारत में संभव नहीं है। एक दर की व्यवस्था उन्हीं देशों में चल सकती है, जहाँ विषमता काफी कम हो। **(साभार : दैनिक जागरण, 1.12.2017)**

पेट्रोल पर जीएसटी संग वैट भी

राज्यों को राजी करने के लिए जीएसटी के बाद भी पेट्रोल-डीजल पर लग सकता है वैट

जीएसटी परिषद पेट्रोलियम पदार्थों यानी पेट्रोल और डीजल को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने के लिए राज्यों के बीच सहमति बनाने का प्रयास कर रही है। परिषद राज्यों को आश्वस्त कर रही है कि ऐसा होने से उनके राजस्व पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसके तहत प्रस्ताव यह है कि पेट्रोलियम पर 28 फीसदी जीएसटी लगाई जाए और केन्द्र एवं राज्यों को इस पर अपने यहाँ मौजूदा करों के हिसाब से कर लगाने की अनुमति दी जाए।

हालांकि राज्य पेट्रोलियम को जीएसटी में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि उनके कर राजस्व में इसकी हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी है। ऐसे में इस पर मूल्य वर्धित कर (कर) या जीएसटी के अतिरिक्त अन्य कर लगाने की अनुमति मिलने से राज्यों को राजी किया जा सकता है। केन्द्र सरकार पेट्रोलियम को जीएसटी में लाने को इच्छुक है और उसे जीएसटी से ऊपर उत्पाद शुल्क लगाने की अनुमति मिल सकती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'वर्तमान में राज्यों के कुल राजस्व में 40 फीसदी हिस्सेदारी पेट्रोलियम उत्पादों की है। ऐसे में जीएसटी दर से ऊपर कर लगाने या राज्यों और केन्द्र को अतिरिक्त कर लगाने की आजादी राज्यों को मिलनी चाहिए।' इसका मतलब हुआ कि पेट्रोल-डीजल को 28 फीसदी के दायरे में रखा जा सकता है जबकि इयके ऊपर कर या उपकर लगाने का अधिकार राज्यों और केन्द्र को मिल सकता है।

सुशील मोदी ने कहा, 'दुनिया भर में पेट्रोलियम को लेकर यह आम सिद्धांत है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंपनियाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त कर सकेंगी।' इस तरह की व्यवस्था के तहत फिलहाल मनोरंजन पर उपकर लगाया जा रहा है, जिसमें राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वे सिनेमा पर 28 फीसदी से ऊपर शुल्क लगा सकते हैं। सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'अगर राज्यों को जीएसटी दर से अतिरिक्त कर लगाने की अनुमति मिलती है तो इससे पेट्रोलियम पर राज्यों को सहमत करना आसान हो सकता है।' जीएसटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि केन्द्र सरकार पेट्रोलियम को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है और इसके लिए राज्यों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है।

इन राज्यों में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा बिक्री कर / वैट :
• महाराष्ट्र : पेट्रोल - 43.64, डीजल - 26.14 • गुजरात : पेट्रोल - 24.80,

डीजल- 24.80 • उत्तर प्रदेश : पेट्रोल- 32.42. डीजल- 19.61 • तमिलनाडु : पेट्रोल- 34.00, डीजल- 25.00 • कर्नाटक : पेट्रोल - 30.00, डीजल - 19.00

फिलहाल पेट्रोल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 19.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 15.33 प्रति लीटर है। **(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 21.12.2017)**

50 लोगों को रोजगार देने वाली आईटी कंपनियों का सरकार भरेगी जीएसटी

आईटी और आईटी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, टेक्सटाइल और लेदर प्रक्षेत्र में पाँच करोड़ रुपए से अधिक निवेश और 50 लोगों का प्रत्यक्ष नियोजन करने वाली इकाइयों को उत्पादन शुरू करने की तिथि से पाँच वर्षों तक सभी एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इसमें कार्यरत कर्मियों के ईपीएफ और ईएसआई में राज्य सरकार भी अंशदान करेगी। कैबिनेट ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 20.12.2017)

पुरानी पैकेजिंग पर स्टिकर लगा 31 मार्च तक बेच सकेंगे उत्पाद

मोहलत : • केन्द्र सरकार ने पुराने स्टॉक की बिक्री के लिए अवधि बढ़ाई • करीब दो सौ उत्पादों पर जीएसटी घटाने से बचा था स्टॉक

कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। अब पुरानी पैकेजिंग वाले माल को कारोबारी 31 मार्च, 2018 तक बेच सकेंगे। पहली जुलाई को देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू होने के बाद सरकार ने पुराने स्टॉक पर नई कीमत का स्टिकर लगाकर बेचने की इजाजत दी थी। पहले इसके लिए सितम्बर तक की मोहलत दी गई। इसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया था। लेकिन नवम्बर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में करीब दो सौ उत्पादों पर जीएसटी की दर घटाने का एलान किया गया। इससे उद्योगों और कारोबारियों के पास बड़ी मात्रा में पुरानी कीमत का स्टॉक बचा हुआ था। कारोबारियों ने इस संबंध में सरकार से गुहार भी लगाई थी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर इस स्टॉक पर संशोधित स्टिकर लगाकर उत्पाद बेचने की अनुमति देने का आग्रह किया था।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैकेटबंद वस्तु अधिनियम के नियमों के तहत कारोबारियों को पुरानी पैकेजिंग पर संशोधित कीमत का स्टिकर लगाकर उत्पाद बेचने की समय सीमा को चालू वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आशय की अधिसूचना में कहा गया है कि 31 मार्च तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

सूत्रों का मानना है कि नवम्बर में जीएसटी की दरों में संशोधन के बाद देश भर के कारोबारियों के पास करीब छह लाख करोड़ रुपये की कीमत का स्टॉक जमा हो गया था। काउंसिल की बैठक में करीब 178 उत्पादों को जीएसटी की 28 फीसद की दर से हटाकर 18 फीसद के दायरे में लाया गया था। पैकेटबंद वस्तु अधिनियम के मुताबिक बाजार में बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) लिखा होना अनिवार्य है।

(साभार : दैनिक जागरण, 21.12.2017)

बियाडा की नई नियमावली जल्द होगी लागू

उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह ने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) संशोधन कानून-2017 के पास हो जाने से उद्योग के लिए जमीन की उपलब्धता अधिक होगी। आमतौर पर राज्य से बाहर के उद्यमियों के बीच में यह धारणा बन गई है कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। अब बियाडा के पास लैंड बैंक होगा और इससे राज्य में उद्योग लगने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बियाडा संशोधन विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है। अब इसे राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पास भेजा जाएगा। उनकी सहमति मिलने के बाद यह लागू हो जाएगा। जल्द ही बियाडा की नई नियमावली तैयार कर उसे भी लागू कर दिया जाएगा। बियाडा को भूमि खरीदने, भवन को लीज या किराए पर का अधिकार मिल गया है। हर जिले में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा।

पाँच हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया : नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद अभी तक राज्य में पाँच हजार करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया है और एक हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बैंक ने भी फाइनेंस देने की सहमति दे दी है। मंत्री ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए बनेगी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। इस कमेटी की महती जिम्मेदारी दी गई है। इसमें औद्योगिक क्षेत्र संगठन और उद्योग विभाग के अधिकारी सदस्य होंगे।

(साभार : दैनिक भास्कर, 1.12.2017)

उद्यमियों को बैंक से कर्ज पर मिलेगा 10% ब्याज अनुदान : श्री मोदी

राज्य सरकार आईटी, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, एपरल और लेदर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति के तहत बैंक से कर्ज लेने पर 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है। जीएसटी की पुनर्वापसी होनी है और ईपीएफ व ईएसआई की 50 प्रतिशत राशि भी दी जाएगी। बिहार के उद्यमी द्वारा यहाँ के व्यक्ति की रोजगार देने पर प्रति कर्मचारी 20 हजार रुपए अनुदान की व्यवस्था होगी। ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजधानी के ज्ञान भवन सभागार में कहीं। वे बिहार उद्यमी संघ की ओर से आयोजित 'युवा उद्यमी सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि औद्योगिक नीति 2016 के तहत 15 महीने में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद को निवेश के 652 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 539 को प्रथम चरण की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके जरिए करीब 5 हजार करोड़ का पूंजी निवेश होगा। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आए 72 में से 55 को निवेश पर्षद की सहमति प्राप्त है, जिनमें से 14 लग चुके हैं या अंतिम चरण में हैं। 1002 करोड़ के 3 सीमेंट कारखानों के प्रस्ताव के अलावा अन्य छोटे निवेश के प्रस्ताव हैं।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 21.12.2017)

यूआईडीएआई ने कहा- सब्सिडी वाले बैंक खाता बदलने को ग्राहक की मंजूरी अनिवार्य

ग्राहक की सहमति बिना खाता बदलने पर सख्ती : ग्राहकों की सहमति के बिना सब्सिडी वाला खाता बदलने के मामले में केन्द्र ने सख्त रुख अपनाया है। आधार जारी करने वाले भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बैंकों को निर्देश दिया कि सब्सिडी के लिए खाते में बदलाव ग्राहक की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं किया जाए।

लाभार्थी का ब्योरा जुटाए बिना सहमति न दे एनपीसीआई : अधिसूचना में कहा गया है कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया (एनपीसीआई सिर्फ उसी स्थिति में सब्सिडी वाले बैंक खातों को बदलने की अनुमति दे, जबकि उसके साथ लाभार्थी के मौजूदा बैंक का ब्योरा हो और बदलाव के लिए उसकी सहमति हो। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 20.12.2017)**

स्वास्थ्य मंत्री बोले- जनवरी मध्य तक मिलना शुरू हो जाएगा दवा की दुकानों का ऑनलाइन लाइसेंस

केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के समारोह में कहा– छापेमारी की होगी वीडियो रिकार्डिंग

बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की ओर से स्वास्थ्य मंत्री मंगल, पांडेय का स्वागत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार में केमिस्ट की कमी है। सरकार इस बात को भली-भांति जानती है। हमारी यह कोशिश है कि इस कमी को दूर किया जाए। सॉफ्टवेयर की वजह से दवा दुकान का ऑनलाइन लाइसेंस देने में परेशानी हुई है। हमारी कोशिश होगी कि जनवरी के मध्य तक ऑनलाइन की यह प्रक्रिया शुरू हो जाए। दवा दुकानों में छापेमारी में कई शिकायतें आई हैं। सिर्फ यह बताया जाता है कि छापेमारी के समय दवा दुकान से क्या बरामद हुआ। अब ऐसा नहीं होगा। जब भी दवा दुकानों में छापेमारी होगी तो रिकार्डिंग भी करवाई जाएगी, ताकि पूरी बात सामने आ सके।

मौके पर राज्य औषधि नियंत्रक रवीन्द्र कुमार सिन्हा, परसन कुमार सिंह, उत्पल कुमार सेन, अमरेन्द्र कुमार, प्रदीप कुमार चौरसिया, बलिराम शर्मा, संतोष कुमार, सज्जन कुमार, के. एम. पी. सिंह, रमेश पटेल आदि मौजूद थे।

(दैनिक भास्कर, 18.12.2017)

PT. GPO / R-10 / NP - 15 / 2017-19 R. N. 4211/62

चैम्बर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण सराफ का निधन

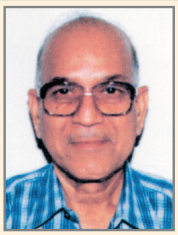

चैम्बर सदस्यों के लिए 24 दिसम्बर 2017 का दिन अत्यन्त दु:खद रहा, जिस दिन चैम्बर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री गोपी कृष्ण सराफ (84 वर्ष) का अलवर (राजस्थान) में निधन होने का समाचार मिला। चैम्बर में स्व० सराफ जी ''गोपी बाबू'' के नाम से जाने जाते थे। गोपी बाबू कुछ वर्षो पूर्व से अपने बेटों के पास अलवर में ही रहते थे। पटना के एक्जीविशन रोड में ''ट्यूब इन्टरप्राईजेज'' नामक गोपी बाबू की टाइल्स एवं सेनीटरी फीटिंग की भव्य दुकान थी। गोपी बाबू की अस्वस्थता की वजह से दुकान उनके पुत्र ही चला रहे थे। वास्तव में गोपी बाबू पटना से अलवर में ही शिफ्ट कर गये थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि गोपी बाबू के निधन से मुझे मर्मान्तक पीड़ा हुई है। गोपी बाबू बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सत्र 1997-98, 1998-99, 2003-04, 2008-09 एवं 2010-11 में उपाध्यक्ष तथा सत्र 1988-89 एवं 1989-90 में महामंत्री के पदों को सुशोभित कर चुके थे। इसके अतिरिक्त गोपी बाबू बुलेटीन एवं लाईब्रेरी तथा सदस्यता उप-समिति के चेयरमैन भी रह चुके थे।

श्री अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर के प्रति गोपी बाबू का काफी गहरा लगाव था। कई महत्वपूर्ण विषयों/मामलों में गोपी बाबू के सुझाव चैम्बर के लिए काफी महत्वपूर्ण रहे। वे चैम्बर के अतिरिक्त बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन सहित कई अन्य सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। गोपी बाबू सरल स्वभाव के मृदुभाषी एवं मिलनसार व्यक्ति थे। उनका जीवन सादगी, सच्चाई एवं परोपकार में व्यतीत हुआ। गोपी बाबू अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का भी काफी ख्याल रखते थे।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि यों तो गोपी बाबू हमारे बीच नहीं रहे, परन्तु उन्होंने अपने कार्यकाल में चैम्बर के लिए जो महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य सेवाएँ प्रदान की, वो चैम्बर के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी।

अब गाँव-शहर के अलावा 2 और केटेगरी में जमीन

सरकार ने जमीन को 4 हिस्सों में बांट दिया है। शहरी और ग्रामीण के अलावा पटना मेट्रोपोलिटन और पेरिफेरल क्षेत्र भी होंगे। इन चारों क्षेत्रों में आने वाली जमीन का नक्शा अब इन विभागों से ही पास होगा। निबंधन महकमे को हर जिले में 4 वर्गों में बांटने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

पटना मेट्रोपोलिटन की जमीन : पटना मेट्रोपोलिटन क्षेत्र की भूमि का वर्गीकरण शहरी क्षेत्र की भूमि के वर्गीकरण के अनुरूप तय होगा।

पेरिफेरल क्षेत्र की भूमि का वर्गीकरण : पेरिफेरल क्षेत्र की भूमि का वर्गीकरण ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के वर्गीकरण के अनुरूप होगा। इस क्षेत्र की जमीन का एमवीआर ग्रामीण क्षेत्र की भूमि से अधिक पर शहरी क्षेत्र की भूमि से कम निर्धारित होगा।

सड़क की जमीन की दो श्रेणी : सड़क का वह हिस्सा जो बाजार से होकर गुजरता हो उस पर स्थित जमीन जो सड़क की ओर खुलती हो, को व्यावसायिक मुख्य सड़क श्रेणी की जमीन माना जाएगा। वहीं सड़क का वह हिस्सा जो बाजार से होकर नहीं गुजरता हो उस पर स्थित भूमि को आवासीय मुख्य सड़क श्रेणी की भूमि माना जाएगा।

शहरी क्षेत्र : प्रधान सड़क की व्यावसायिक व आवासीय भूमि नेशनल तथा स्टेट हाइवे तथा नगर पालिका अथवा नगर निगम, नगर परिषद व नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित सड़क की ओर फ्रंटेज वाली जमीन व्यवसायिक श्रेणी की भूमि मानी जाएगी। चाहे मकान हो या फिर खाली जमीन। ऐसी जमीन के लिए व्यावसायिक एवं आवासीय दर एक होगी।

ग्रामीण क्षेत्र : ग्रामीण में उस जमीन को व्यावसायिक भूमि माना जाएगा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उस भूखंड को औद्योगिक भूमि माना जाएगा जिस पर कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान संचालित है या फिर सरकार के स्तर पर उसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। **(साभार : आईनेक्स्ट, 23.12.2017)**

बर्थ खाली रहने पर यात्रियों को 50% तक डिस्काउंट देगा रेलवे

सीटें खाली रहने पर भारतीय रेलवे पैसेंजर को डिस्काउंट ऑफर देगा। यह डिस्काउंट 50 फीसदी तक पहुँच सकता है। यहाँ तक कि चार्ट लगाने के बाद भी आप और डिस्काउंट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इंडियन रेलवे द्वारा तैयार किए जा रहे डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल में इस तरह के प्रपोजल मिल रहे हैं। वहीं, रेलवे की हाईलेवल कमेटी के पास ट्रेनों को 3 कैटेगरी में बांटने का प्रपोजल भी आया है। दरअसल, पिछले साल रेलवे ने कुछ प्रीमियम ट्रेनों में फ्लैक्सिंग फेयर मॉडल शुरू किया था। इसके मुताबिक पीक आवर में ट्रेनों का किराया बढ़ जाता है। इससे रेलवे को रेवेन्यू का तो फायदा हुआ, लेकिन पैसेंजर कम हो गये। **(विस्तृत : आज, 21.12.2017)**

हॉलमार्किंग : आधी क्षमता पर हो रहा काम

अब भी विनिर्माण केन्द्रों से दूर हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करना नहीं फायदेमंद

सरकार देशभर में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और सोने के कारोबार में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने एवं ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बना रही है, लेकिन इस समय हॉलमार्किंग सेंटर महज 30 से 40 फीसदी क्षमता पर काम कर रहे हैं।

इस समय देश में 500 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। प्रत्येक की क्षमता रोजाना 2,000 नगों या 20 किलोग्राम आभूषणों को हॉलमार्क करने की है। ये सेंटर मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, राजकोट, चेन्नई, कोयंबतूर, त्रिशूर जैसे आभूषण विनिर्माण के उन प्रमुख केन्द्रों के आसपास हैं, जहाँ से आभूषण अन्य कस्बों में भेजे जाते हैं।

प्रमुख शहरों में 10 से अधिक हॉलमार्किंग सेंटर हैं, जो चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू किए जाने के लिए पर्याप्त हैं। हालांकि सरकार अब एक हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने के लिए 20 से 25 लाख रुपये की सब्सिडी मुहैया करा रही है।

हॉलमार्किंग है जरूरी : • देश में 500 हॉलमार्किंग सेंटर हैं • सरकार एक हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने के लिए 20-25 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही है • एक सेंटर का मासिक परिचालन खर्च करीब 2.5 लाख रुपये हैं • 2 ग्राम या कम के आभूषण अनिवार्य हॉलमार्किंग से बाहर। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 1.12.2017)**

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296